

गति से
प्रगति



वार्षिक रिपोर्ट

2017 - 2018

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
(भारत सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम)



वार्षिक रिपोर्ट 2017 - 2018

लेखा परीक्षक

मैर्सस ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

मैर्सस अनील आनंद, कम्पनी सचिव
सचिवालय लेखा परीक्षक, नई दिल्ली

पंजीकृत एवं मुख्य कार्यालय:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
7/6, सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049
फोन नंबर: 91-11-41066943 फैक्स: 91-11-41066953
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

अनुक्रमणिका

1	निर्देशक मंडल	2
2	अध्यक्षीय संबोधन	3
3	निर्देशक की रिपोर्ट	5
4	साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (अनुबंध -1)	15
5	फार्म संख्या एओसी-2 (अनुबंध -2)	17
6	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (अनुबंध -3)	18
7	फार्म संख्या एमजीटी-9 वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण (अनुबंध -4)	20
8	स्वतन्त्र लेखा परिक्षक की रिपोर्ट	28
9	लेख परिक्षक का अनुपालन प्रमाण पत्र	36
10	तुलन पत्र	37
11	लाभ-हानि का विवरण	39
12	नकदी प्रवाह विवरण	41
13	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	43
14	वित्तिय विवरणों के लिए नोट्स	45
15	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां	91

निर्देशक मंडल

(25 अगस्त, 2018 को)



श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

अध्यक्ष

सचिव (पूडी),

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001



श्री बिजय कुमार त्रिपाठी

निदेशक

सदस्य सचिव,

एनसीआरपीबी कोर -4-बी, पहली मंजिल
आवास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003



श्री मनोज कुमार

निदेशक

अपर सचिव,

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001



श्री राजेश अग्रवाल

निदेशक

कार्यकारी निदेशक/एमटीपी,
रेल मंत्रालय, रेल भवन,
नई दिल्ली -110001



श्री अंशु प्रकाश

निदेशक

मुख्य सचिव,

एनसीटी-दिल्ली सरकार, ए-विंग,
5वीं मंजिल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली



श्री ऐ.के. सिंह

निदेशक

हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड शहरी एस्टेट विभाग,
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निर्देशालय,
सेक्टर 6, पंचकुला



श्री पी. गुरु प्रसाद

निदेशक

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश सरकार, तेहरी कोठी,
एमजी मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001



श्री राजीव स्वरूप

निदेशक

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

उद्योग और डीएमआईसी, राजस्थान सरकार,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर,



श्री विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक

एनसीआरटीसी, 7/6 सिरी फोर्ट
इंस्टीट्यूशनल एरिया, आमदा बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049



अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करने पर मुझे गर्व और सौभाग्य है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ पहले से ही आप सभी को प्रसारित कर दिया गया है, जिन्हें मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूँ।



जैसा कि आप जानते हैं कि आठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर की पहचान एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को हाई स्पीड रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए की गई है। इन आठ कॉरिडोर में से, तीन कॉरिडोर, दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर को पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है।

मैं संक्षेप में आरआरटीएस के इन तीन मुख्य कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति को आपके सामने रखता हूँ।

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर


दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आरआरटीएस वायाडक्ट के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकांश प्राधिकारियों/विभागों से प्राप्त किया गया है। दिल्ली क्षेत्र में, कॉरिडोर संरक्षण के लिए सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन, दिल्ली शहरी कला आयोग, यमुना स्थायी समिति, एएसआई, यूटीटीआईपीईसी, उत्तरी रेलवे, डीएमआरसी, एनएचएआई आदि से प्राप्त किया गया है। अन्य प्राधिकरणों के अनुमोदन अग्रिम चरण में हैं।

परियोजना प्रस्ताव को भारत सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है और परियोजना पर विचार के लिए पीआईबी की बैठक 11 सितंबर 2018 को आयोजित की गई थी। भारत सरकार द्वारा परियोजना की शीघ्र मंजूरी को लेकर मैं पूर्णतया आश्वस्त हूँ, तत्पश्चात परियोजना पर निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में परियोजना के लिए 659 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और पूर्व निर्माण गतिविधियों को लेने के लिए 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018-19 के लिए अपने बजट में 250 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

पूर्व-निर्माण गतिविधियां जैसे भू-तकनीकी जांच, विस्तृत डिजाइन (उत्तर प्रदेश भाग के लिए) प्रगति पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है और इसके लिए एक समिति गठित की है। बिजली लाइनों, सीवेज, गैस, पानी पाइप लाइनों आदि जैसे उपयोगिताओं की पुनर्स्थापना प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में निर्माण के दौरान यातायात मोड़ने की सुविधा के लिए सड़क चौड़ाई बढ़ रही है। ऊंचे वायाडक्ट अनुभाग के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, आरआरटीएस आधारभूत संरचना अब मेरठ शहर के भीतर छह अतिरिक्त स्टेशन प्रदान करके प्रस्तावित मेरठ मेट्रो के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की सेवाओं को भी सुविधाजनक बनाएगी। इस संशोधित योजना से 6300 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निधि की बचत होगी और यह आरआरटीएस और मेट्रो की सवारी को भी बढ़ाएगी।



डीईए की स्क्रीनिंग कमेटी, वित्त मंत्रालय ने 2,049 मिलियन अमरीकी डालर के बहुपक्षीय वित्त पोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के पास भेज दिया गया है। एडीबी के साथ चर्चा अच्छी तरह से बढ़ रही है।

दिल्ली-अलवर कॉरिडोर

पुरानी दिल्ली सड़क से होते हुए गुरुग्राम में संशोधित संरेखण को हरियाणा राज्य सरकार की सहमति से अंतिम रूप दिया गया है।

एनएचएआई द्वारा एनएच-48 पर आरओडब्ल्यू के अंतर्गत आरआरटीएस वायाडक्ट को लेने की मंजूरी दे दी है। संशोधित संरेखण के अनुसार डीपीआर तैयारी में है और जल्द ही इसे अंतिम रूप देने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार के अनुरोध पर, बिलासपुर में एक अतिरिक्त उन्नत स्टेशन संशोधित संरेखण में शामिल किया गया है। संरेखण के संशोधन के साथ, निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता में काफी कमी आई है।

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में सराय काले खां से शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड (एसएनबी) के प्रस्तावित आरआरटीएस संरेखण को सिद्धांत रूप से अनुमोदन दिया है।

संभावित ग्राहकों की सेवा के लिए, आपकी कंपनी ने इस कॉरिडोर के कई स्टेशनों पर मल्टी-मोडल एकीकरण की भी योजना बनाई है।

दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर

डीपीआर की तैयारी और संरेखण को अंतिम रूप देने की प्रगति पर है। संबंधित अधिकारियों और शेरधारकों के साथ चर्चा चल रही है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल की तरफ से, मैं भारत सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों, दिल्ली के एनसीटी सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कंपनी को दी गई सद्भावना और सहयोग के लिए ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। निदेशक मंडल की तरफ से, मैं एनसीआरटीसी टीम द्वारा कड़ी मेहनत और वचनबद्धता की सराहना करना चाहूंगा, जिसने अब महत्वपूर्ण क्षमता विकसित की है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त ज़मीन को कवर किया गया है और महत्वपूर्ण प्रगति को हासिल किया गया है।

धन्यवाद,

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25.9.2018

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन
निगम लिमिटेड

निर्देशक की रिपोर्ट

सेवा में,

प्रिय शेरधारकों
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के खातों का लेखा परीक्षण एवं वित्तीय विवरण और अन्य निर्धारित विवरणों के साथ कंपनी की पांचवी वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में आपके निदेशकों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं


आपका निगम अपनी निर्माण गतिविधियों को अभी प्रारम्भ करने जा रहा है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं:

(लाखों में)

विवरण	2017-18	2016-17
कुल आय (सावधि जमा/फ्लेक्सी जमा से मिलने वाला ब्याज ही मुख्यतः अन्य आय है।)	634.00	792.85
व्यय (कर्मचारी लाभ व्यय, मूल्यह्रास और अन्य व्यय)	268.79	198.00
कर देने से पूर्व लाभ	365.21	594.85
कर व्यय	95.44	196.37
कर के बाद लाभ	269.77	398.48
साल के अंत में शुद्ध सम्पत्ति	11,464.94	11,195.17

पूँजी संरचना

इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख को कंपनी ने 100.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी का उपार्जन किया है।



सभी हितधारकों द्वारा उनका यथोचित हिस्सा चुका दिया गया था और तदानुसार शेरधारकों के प्रतिशत साथ वर्तमान हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

क्र.स.	शेरधारक का नाम	राशि (लाख रुपये में)	प्रतिशत
1	आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय	2250.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	2250.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500.00	5
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	1250.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	1250.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	1250.00	12.50
7	उत्तरप्रदेश सरकार	1250.00	12.50
	कुल	10000.00	100

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी की पूंजी संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है।

लाभांश

जैसा कि निगम अपनी निर्माण गतिविधियों को अभी शुरू करने जा रहा है, वर्ष के दौरान लाभ केवल अन्य आय द्वारा जो मुख्यतः सावधि जमा/पलेक्सी जमा से प्राप्त ब्याज से है। इसलिए, वर्ष 2017-18 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

सामान्य आरक्षित का विनियोग

लाभ को आय के रूप में बनाए रखा गया है और वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण के लिए कोई लाभांश राशि नहीं रखी गई है-

भावी संभावना और परियोजना की स्थिति

एक तरफ शहरी परिवहन के टिकाऊ बुनियादी ढांचे का विस्तार और संतुलित क्षेत्रीय विकास है दूसरी ओर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी है। आपकी कंपनी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को लागू करके इस परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।


31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की परियोजना की स्थिति निम्नानुसार है:

अ. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में प्रगति के मुख्य अंश

- उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा डीपीआर-2016 को मई 2017 में मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद उत्तरप्रदेश के ज्यादातर अधिकारियों/विभागों से आरआरटीएस संरेखण की मंजूरी ले ली गयी है। दिल्ली शहरी कला आयोग, यमुना स्थायी समिति, एएसआई, यूटीटीआईपीईसी, उत्तर रेलवे, डीएमआरसी, एनएचएआई आदि से

भी लाइन संरेखण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अन्य प्राधिकरणों की स्वीकृति अग्रिम चरण में हैं।

- एनसीआरटीसी द्वारा किए गए मूल्य इंजीनियरिंग जिसमें कि संरेखण में बदलाव करने व आरआरटीएस के दो नए स्टेशनों नया अशोकनगर और मोदीनगर-दक्षिण को शामिल करना है, जो कि सीआरसी व एनसीपीआरबी द्वारा अनुमोदित है को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप लागत और निर्माण समय में बचत होगी। इन स्टेशनों के अतिरिक्त राइडर्सशिप में सुधार होगा और आरआरटीएस का लाभ बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगा।
- सराय काले खाँ और आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशनों पर बहु-मॉडल एकीकरण योजना को अंतिम रूप दिया गया है और यह संबंधित प्राधिकारियों के साथ चर्चा में है।
- उत्तरप्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, आरआरटीएस अवसंरचना अब शताब्दीनगर से बाहर निकलने वाले रास्ते को हटाकर, मेरठ शहर के भीतर छह अतिरिक्त स्टेशन प्रदान करके प्रस्तावित मेरठ मेट्रो के उत्तर-दक्षिण लाइन की सेवाओं को और भी सुविधाजनक बनाएगा। इस संशोधित योजना के द्वारा, 6300 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत होगी। यह मेरठ शहर की आंतरिक शहरी परिवहन आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और आरआरटीएस की राइडर्सशिप को बढ़ाएगा। संशोधित योजना के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की लागत 31,632 करोड़ रुपये है।
- उत्तरप्रदेश भाग में लाइन की पूर्व निर्माण गतिविधियां शुरू की गई हैं। फ्रांसीसी और स्पेनिश सलाहकारों का एक संघ साहिबाबाद से दुहाई (16.5 किलोमीटर) के खंड में वाया डक्ट के विस्तृत डिजाइन के विकास में लगा हुआ है और विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट प्रगति पर है। उपर्युक्त अनुभाग में भू-तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है और आगे के खंड प्रगति पर है।
- पावर लाइन, स्ट्रीट लाइट पोल, पानी/सीवर लाइन/गैस पाइप लाइन आदि जैसी विभिन्न उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए विभिन्न प्राधिकारियों के साथ बातचीत प्रगति पर है और कुछ मामलों में मांग की गई राशि प्राधिकारियों के पास जमा की गई है।
- स्थानीय अधिकारियों (जीडीए/एमडीए) के परामर्श से विभिन्न आरआरटीएस स्टेशनों के लिए स्थान योजना को अंतिम रूप दिया गया है। विभिन्न आरआरटीएस प्रतिष्ठानों के लिए भूमि की मांग सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है।
- 16 मार्च 2018 के एक ज्ञापन में नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनआईयूए, कैम्पेर फाइनेंस, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन, और संबंधित सुधार (भूमि मूल्य कैम्पेर, लैंड पुलिंग, पीपीपी) में अपनी विशेषज्ञता (इन-हाउस और अपने विशेषज्ञों के संघ से) प्रदान करके एनसीआरटीसी का समर्थन करेगा। उत्तरप्रदेश सरकार अपने पत्र संख्या 320/एए/2-18/एनसीआर/18 दिनांक 20.02.2018 के माध्यम से टीओडी को आवश्यक और सफल बताती है।



वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम चरण में, निम्नलिखित विकास हुआ है:

- (i) 31,632 करोड़ रुपये की कुल समापन लागत के साथ लाइन के लिए संशोधित योजना प्रस्तुत की गई है।
- (ii) परियोजना अनुमोदन के लिए पीआईबी नोट एमओएचयूए द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और एमओएचयूए को जमा की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए प्रसारित किया गया है।
- (iii) 4 आरआरटीएस स्टेशनों सहित 16.5 किलोमीटर ऊँचे पुल के निर्माण के लिए टेंडर, जिसे परियोजना मंजूरी पर अंतिम रूप दिया जाएगा। कंपनी परियोजना की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर काम शुरू करने की स्थिति में है।
- (iv) आगे के खंड के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार के लिए निविदा द्वारा सामान्य कंसल्टेंट्स की नियुक्ति आमंत्रित है।
- (v) उत्तरप्रदेश सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति समिति गठित की है।
- (vi) उत्तरप्रदेश सरकार ने वार्ता की प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है।
- (vii) गाजियाबाद-दुहाई खंड में आरआरटीएस पुल निर्माण के लिए जरूरी, सड़क चौड़ाई का कार्य शुरू किया गया है।
- (viii) सचिव, एमओएचयूए की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान, सभी संबंधित विभागों को एनसीआरटीसी द्वारा तैयार आरआरटीएस स्टेशनों (सराय काले खाँ और आनंद विहार) पर मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन प्लान के कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी गई है।
- (ix) दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के (छः पैकेज में से) दो पैकेज के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से धन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया और 13/04/2018 को आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, 17/07/2018 को तीन और पैकेज भी अनुमोदित किए गए थे। दिल्ली-मेरठ लाइन के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ वार्ता प्रगति पर है।

जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के तहत किसी भी सार्वजनिक जमा को आमंत्रित नहीं किया है।

कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

कम्पनी रोजगार नीतियाँ प्रतिभा को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए गठित की जाती हैं। 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 64 है (जिसमें सलाहकार, प्रतिनियुक्ति के रूप में, पुनः कार्यरत, और अनुबंध पर आधारित कर्मचारी शामिल हैं)। निर्माण के पहले चरण को शुरू करने के लिए, कंपनी विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा जीओआई/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीएच/ओबीसी सेवाओं में आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अर्न्तगत कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी के तहत कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था, कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 5 (2) और 5 (3) के साथ पढ़ा जाए (नियुक्ति और पारिश्रमिक प्रबंधकीय कार्मिक)।

लेखा परीक्षक

सीएजी ने अपने पत्र संख्या सीएवी/सीओवाई/केंद्रीय सरकार, एनसीआरटीसी (0)/692 दिनांक 09.8.2017 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मैसर्स एसी गुप्ता एवं एसोसिएट्स को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है। लेखा परीक्षकों ने कोई टिप्पणी नहीं की है और योग्यता के बिना खातों को मंजूरी दे दी है।

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट

निगम ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए साचिविक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए, मैसर्स अनिल आनंद एवं एसोसिएट्स, को कंपनी का सचिव नियुक्त किया। 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

कंपनी के सदस्यों को संबोधित किए गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सदस्यों के विचार और जानकारी के लिए वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री स्व-स्पष्टीकृत एवं पूर्ण है, और इसमें कोई योग्यता/अवलोकन नहीं है, इसलिए प्रबंधन के पास उस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं है।

ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण


समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत किसी भी तीसरे पक्ष को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बैंक गारंटी के अलावा कोई गारंटी नहीं दी है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

इस अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित संबंधित पार्टी लेनदेन पर स्पष्टीकरण अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है।

भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

ऐसे भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं।



बोर्ड और इसकी समितियों का मूल्यांकन

इस बात को ध्यान में रखते हुए की कंपनी एक सरकारी कंपनी है और वर्तमान बोर्ड में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान के अन्तर्गत केवल अपने हितधारकों के नामांकित निदेशक शामिल हैं, जो इस बात को इंगित करते हुए बयान देने से संबंधित हैं कि औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन, बोर्ड द्वारा अपने प्रदर्शन के द्वारा किया गया है और इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों को वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी ने पहले ही सीएसआर समिति गठित की है।

चूंकि कंपनी द्वारा अभी निर्माण गतिविधियों को शुरू किया जाना है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (मुख्य रूप से सावधि जमा पर ब्याज) से है। इसके आगे सांविधिक आवश्यकता के अनुसार सीएसआर राशि किसी भी सीएसआर गतिविधि के लिए बहुत कम है। इसलिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर पर कोई व्यय नहीं किया है और 20.28 लाख रुपये के सीएसआर व्यय की राशि को बाद के वर्षों में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के तहत निर्धारित रिपोर्ट अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न है

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश, विदेशी मुद्रा आय और निर्गामी

चूंकि निगम ने अभी तक अपनी निर्माण गतिविधियों को शुरू नहीं किया है। कंपनी इस संबंध में निम्नलिखित पहल कर रही है:

- कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालय में एलईडी रोशनी का प्रावधान किया गया है
- कॉर्पोरेट कार्यालय में सौर पैनलों का प्रावधान किया गया है
- कामकाजी घंटों के बाद सभी प्रिंटर, एसी संयंत्र और सिस्टम बिजली की आपूर्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं

विदेशी मुद्रा आय और निर्गामी

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय: शून्य

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय: 85,35,271 / -

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी ने अभी तक अपनी निर्माण गतिविधियों को शुरू नहीं किया है। आपकी कंपनी त्रुटिहीन कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों का पालन करती है और इसकी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता और उत्तरदायित्व का अनुसरण करती है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन कंपनी की सामरिक योजना का एक अभिन्न अंग है। कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।

निदेशक का उत्तरदायी बयान

आपका बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप पुष्टि करता है कि:

- (ए) वार्षिक खातों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया था;
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और अनुमान बनाए जो कि उचित और समझदारी से परिपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (सी) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था की थी;
- (डी) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक सतत चिंता के आधार पर तैयार किया था; तथा
- (ई) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की थी और ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे।

वार्षिक रिटर्न का सार:


कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार जैसा कि आवश्यक है इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का उद्घारण अनुलग्नक - 4 के रूप में है।

नियम द्वारा पारित विशिष्ट और भौतिक आदेश

वर्ष के दौरान, भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले, नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत मामला (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट की आखिरी तारीख तक समीक्षा के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।



धारा 134 (3) (डी) के अनुसार पुष्टि

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि बोर्ड में 31 मार्च 2018 तक नीचे वर्णित व्यक्ति शामिल है:

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	नामांकित निदेशक
श्री मनोज कुमार	नामांकित निदेशक
श्री अंशु प्रकाश	नामांकित निदेशक
श्री पी. गुरु प्रसाद	नामांकित निदेशक
डॉ राजीव स्वरूप	नामांकित निदेशक
श्री अरुण कुमार गुप्ता	नामांकित निदेशक
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक

बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि 5 जुलाई, 2017 के (निदेशको की योग्यता और नियुक्ति) कंपनी संशोधन नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक और मुख्य प्रबंधन व्यक्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी के बोर्ड और मुख्य प्रबंधन व्यक्ति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- 1 श्री दीपेन्द्र सिंह धेसी, 27.06.2017 को हरियाणा सरकार के नामांकित निदेशक पद से अलग हुए।
- 2 श्री उमेश कुमार, 27.06.2017 को राजस्थान सरकार के नामांकित निदेशक पद से अलग हुए।
- 3 श्री राजीव स्वरूप को 27.06.2017 से राजस्थान सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 4 श्री राजीव गाबा, 29.06.2017 को एमओएचयूए के नामांकित निदेशक पद से अलग हुए।
- 5 श्री मनोज कुमार, 18.09.2017 को एमओएचयूए के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- 6 श्री अरुण कुमार गुप्ता को 18.09.2017 से हरियाणा सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 7 श्री पी गुरु प्रसाद को 03.11.2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 8 श्री के के अग्रवाल, 30.01.2018 को रेल मंत्रालय के नामांकित निदेशक पद से अलग हुए।
- 9 श्री राजेश अग्रवाल को 10.05.2018 को रेल मंत्रालय के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 10 श्री वार्ड पी सक्सेना को 16.01.2018 से कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया।
- 11 श्री साकेत कुमार सिंह को 27.06.2017 को कंपनी का सीएस नियुक्त किया गया।
- 12 श्री अरुण कुमार गुप्ता 09.08.2018 को निदेशक पद से अलग हुए।
- 13 श्री अपूर्व कुमार सिंह को 09.08.2018 से हरियाणा सरकार के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठक

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की बैठक निम्नलिखित समय पर हुई:

1. 27 जून, 2017
2. 18 सितंबर, 2017
3. 16 जनवरी, 2018

बैठकों के बीच हस्तक्षेप अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

बोर्ड की समितियां

कंपनी की कई समितियां हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।

इन समितियों की संरचना नीचे दी गई है:

1. लेखा परीक्षा समिति

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	अध्यक्ष
2	श्री के के अग्रवाल*	सदस्य
3	श्री पी. गुरु प्रसाद	सदस्य
4	श्री राजेश अग्रवाल#	सदस्य

*30.01.2018 से कंपनी के निदेशक पद से अलग हुए

#10.05.2018 को नियुक्त

लेखा परीक्षा समिति की बैठक 23.06.2017 और 29.12.2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित की गई थी।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	अध्यक्ष
2	श्री के. के. अग्रवाल*	सदस्य
3	श्री पी. गुरु प्रसाद	सदस्य
4	श्री राजेश अग्रवाल#	सदस्य

*30.01.2018 से कंपनी के निदेशक पद से अलग हुए

#10.05.2018 को नियुक्त

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सीएसआर समिति की बैठक 29.12.2017 को आयोजित की गई थी।

3. निवेश समिति

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद
1	श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	अध्यक्ष
2	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा#	सदस्य
3	श्री मनोज कुमार*	सदस्य
4	श्री विनय कुमार सिंह	सदस्य

*18.09.2017 को समिति के सदस्य बने

23.06.2017 से समिति के सदस्य पद से अलग हुए

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 21.11.2017 को निवेश समिति की बैठक आयोजित की गई।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसके कार्यक्षेत्र

आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। आंतरिक लेखा परीक्षकों को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का अनुभव होता है जिसे पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, और नियुक्ति पर सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। यह आंतरिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और अनुपालन के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सारांश को लेखा परीक्षा समिति के विचार के लिए रखा जाता है।

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

लेखांकन मानकों का अनुपालन

लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय विवरणों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानक के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किया गया है।

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा दी गई सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा रिकॉर्ड करता है जिसमें भारत सरकार, एनसीटी-दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सम्मिलित है।

निदेशक मंडल कंपनी के बैंकरों को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, साचिविक लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों, सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों को भी उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और वचनबद्धता के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है। बोर्ड आगामी वर्षों में भी उनके उत्साह और समर्पण के साथ उनकी सेवाओं की प्रतीक्षा कर रहा है जिससे कंपनी को और अधिक ऊंचाई मिल सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

(बिजय कुमार त्रिपाठी)

निदेशक

डीआईएन: 02943220

(विनय कुमार सिंह)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06497700

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा मे

प्रिय सदस्यों,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

7/6 एएमडीए बिल्डिंग, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,

अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली, 110049

हमने मैसर्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) (जिस नाम से कम्पनी जानी जाती है) के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की साचिविक लेखा परीक्षा आयोजित की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जो हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

कंपनी की किताबों, कागजात, कार्य विवरण पुस्तक फॉर्म और रिटर्न दायर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड साचिविक लेखा परीक्षा के आयोजन के दौरान, कंपनी इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास सही बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजात, कार्य विवरण पुस्तको, फॉर्म और रिटर्न दायर किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच की है:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(2) भारत के कंपनी सचिवों के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी साचिविक मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन किया है:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड बैठकों के समय निर्धारण का सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्य सूची और कार्य सूची के विस्तृत नोट्स को कम से कम 7 दिन पहले भेजा जाता है। बैठक से पहले, बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण को प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

बैठक के मिनट्स के अनुसार अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित, बोर्ड के फैसलों को सर्वसम्मति से पारित किया गया और कोई असंतोषजनक विचार दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

सी.एस अनील आनंद
ए.सी.एस. : 10328
सी.पी. नं०: 11295

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.07.2018

फॉर्म संख्या एओसी-2

(उपधारा (3) के खंड (एच) के अनुसार अधिनियम की धारा 134 और
कंपनियों के नियम 8 (2) के (लेखा) नियम, 2014)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा अनुबंधित अनुबंध / व्यवस्था के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निष्पक्ष लेनदेन शामिल हैं

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के 188 (1) के किसी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है

- | | |
|---|-----------|
| 1. निष्पक्षता के आधार पर अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण : | शून्य |
| (ए) संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति : | लागू नहीं |
| (बी) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति : | लागू नहीं |
| (सी) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि : | लागू नहीं |
| (डी) अनुबंध या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों : | लागू नहीं |
| (ई) ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश के लिए औचित्य : | लागू नहीं |
| (एफ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि : | लागू नहीं |
| (जी) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई है : | लागू नहीं |
| (एच) दिनांक जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया : | लागू नहीं |
| इस तरह के कोई लेनदेन साल के दौरान दर्ज नहीं किया गया था | |
| 2. निष्पक्षता के आधार पर भौतिक अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन का विवरण : लागू नहीं | |
| (ए) संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति : | |
| (बी) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति : | |
| (सी) अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि : | |
| (डी) अनुबंध या व्यवस्था या मूल्य सहित लेनदेन की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हों तो : | |
| (ई) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो तो : | |
| (एफ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो तो : | |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

(बिजय कुमार त्रिपाठी)

निदेशक

डीआईएन: 02943220

(विनय कुमार सिंह)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06497700

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड रिपोर्ट में होने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1	कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लैंक का संदर्भ शामिल है।	कंपनी ने अभी तक निर्माण कार्यकलाप शुरू नहीं किए हैं और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (मुख्यतः सावधि जमा पर ब्याज) से है। इसलिए, कंपनी ने अभी तक सीएसआर नीति नहीं अपनाई है।
2	सीएसआर समिति की संरचना	1. श्री बिजय कुमार त्रिपाठी – अध्यक्ष 2. श्री राजेश अग्रवाल – सदस्य 3. श्री पी गुरु प्रसाद – सदस्य
3	पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	6.06 करोड़ रुपये
4	निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में लिखित राशि का दो प्रतिशत)	12.13 लाख रुपये

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

(ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि; 12.13 लाख रुपये

(बी) अव्ययित राशि, अगर कोई है; 12.13 लाख रुपये

(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला निर्दिष्ट करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे	राशि व्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप शीर्षक: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपर के खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	-	-	-	-	-	-	-

6. यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से में खर्च करने में विफल रही है तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण प्रदान करेगी।
- कंपनी ने अभी तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (सावधि जमा पर ब्याज) से है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं के संदर्भ में शुद्ध लाभ 6.06 करोड़ रुपये है। वर्तमान राशि किसी भी सीएसआर गतिविधियों के लिए बहुत छोटी रकम है। इसलिए सीएसआर समिति और निर्देशक मंडल ने सीएसआर व्यय की 20.28 लाख रुपये की राशि को अगले वर्षों में बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया है।
7. सीएसआर समिति के एक जिम्मेदारीयुक्त बयान अनुसार सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।
- वर्तमान में कंपनी ने अपनी निर्माण गतिविधियां शुरू नहीं की हैं और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (सावधि जमा पर ब्याज) से है। जैसा की ऊपर दर्शाया गया है कि वर्तमान राशि किसी भी सीएसआर गतिविधियों के लिए बहुत छोटी रकम है। इसलिए सीएसआर समिति और निर्देशक मंडल ने अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सीएसआर व्यय 20.28 लाख रुपये को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

(बिजय कुमार त्रिपाठी)

निदेशक

डीआईएन: 02943220

(विनय कुमार सिंह)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06497700

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न का सारांश

31.03.2018 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार।

I पंजीकरण और अन्य विवरण:

1	CIN	U60200DL2013GOI256716
2	पंजीकरण की तारीख	21/08/2013
3	कंपनी का नाम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा सीमित कंपनी/संघ सरकार कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	7/6, सिरी फोर्ट इंस्टीटयूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियां:

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताई जाएंगी)


क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत
1	लागू नहीं (कंपनी ने अपना संचालन कार्य शुरू नहीं किया है)		

III होल्डिंग एवं सहायक कंपनियों के विवरण:

लागू नहीं (इस रिपोर्ट की तारीख में कंपनी की कोई सहायक नहीं है।)


IV शेयर होल्डिंग पैटर्न:

(इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में)



ए. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में आयोजित शेयर की संख्या (01 अप्रैल 2017 तक)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयर की संख्या (31 मार्च 2018 तक)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	
अ. प्रमोटर									
1 भारतीय									
(ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(बी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(सी) राज्य सरकार	-	50	50	50	-	50	50	50	-
(डी) निकाय कॉर्पोरेट	-	50	50	50	-	50	50	50	-
(ई) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(एफ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ए) (1)	-	100	100	100	-	100	100	100	-
2 विदेशी									
(ए) एनआरआई-व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(बी) अन्य-व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(सी) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(डी) बैंक/एफ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(एफ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ए) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर की कुल शेयरहोल्डिंग (ए)=(ए)(1)+(ए)(2)	-	100	100	100	-	100	100	100	-
ब. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान									
ए) म्यूचुअल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-




शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में आयोजित शेयर की संख्या (01 अप्रैल 2017 तक)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयर की संख्या (31 मार्च 2018 तक)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	
ई) वेंचर कैपिटल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य कोई (उल्लेखित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थागत									
अ) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) व्यक्तिगत शेयरधारक जो 1 लाख रु के शेयर पूंजी धारण कर रहे हों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) व्यक्तिगत शेयरधारक जो 1 लाख रु से अधिक राशि के शेयर पूंजी धारण कर रहे हों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) अन्य कोई (उल्लेखित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी कॉर्पोरेट्स निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
न्यास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी संस्थाएं – डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (बी) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में आयोजित शेयर की संख्या (01 अप्रैल 2017 तक)				वर्ष के अंत में आयोजित शेयर की संख्या (31 मार्च 2018 तक)				वर्ष के दौरान प्रतिशत में परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक (लाखों में)	कुल (लाखों में)	कुल शेयर का प्रतिशत	
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग बी = (बी)(1) + (बी)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(सी) जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा आयोजित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए)+(बी)+(सी)	-	100	100	100	-	100	100	100	-

बी) प्रमोटर के शेयरहोल्डर्स

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारम्भ में शेयरहोल्डिंग (01/04/2017 को)			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग (31/03/2018 को)			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में बदलाव
		शेयर संख्या (लाखों में)	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवी/भारग्रस्त शेयर का प्रतिशत	शेयर संख्या (लाखों में)	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	गिरवी/भारग्रस्त शेयर का प्रतिशत	
1	शहरी विकास मंत्रालय	22.5	22.50	0.00	22.5	22.50	0.00	0.00
2	रेल मंत्रालय	22.5	22.50	0.00	22.5	22.50	0.00	0.00
3	एनसीआर योजना बोर्ड	5	5	0.00	5	5	0.00	0.00
4	एनसीटी दिल्ली सरकार	12.5	12.50	0.00	12.5	12.50	0.00	0.00
5	हरियाणा सरकार	12.5	12.50	0.00	12.5	12.50	0.00	0.00
6	राजस्थान सरकार	12.5	12.50	0.00	12.5	12.50	0.00	0.00
7	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5	12.50	0.00	12.5	12.50	0.00	0.00



सी) प्रमोटर्स के शेयरहोल्डिंग में बदलाव (अगर कोई बदलाव नहीं है तो कृपया निर्दिष्ट करें)

वर्ष के दौरान कोई बदलाव नहीं

क्रम सं०	विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग (01/04/2017 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
1	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग	10,000,000	100	10,000,000	100
	वर्ष के दौरान बदलें	-	-	-	-
	साल के अंत में	10,000,000	100	10,000,000	100

डी) शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न: (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटर्स और धारकों के अलावा):

शून्य (वर्तमान में कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग भारत सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की गई है)

इ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग:

शून्य (वर्तमान में कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग भारत सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की गई है)

V ऋण – बकाया/अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, जो भुगतान के लिए बकाया नहीं।

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणात्मकता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
1) मूल धनराशि	Nil	Nil	Nil	Nil
2) बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया	Nil	Nil	Nil	Nil
3) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल योग (1+2+3)	Nil	Nil	Nil	Nil

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणात्मकता
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
बढ़ोतरी*	Nil	Nil	Nil	Nil
गिरावट*	Nil	Nil	Nil	Nil
शुद्ध परिवर्तन	Nil	Nil	Nil	Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
1) मूल धनराशि	Nil	Nil	Nil	Nil
2) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया	Nil	Nil	Nil	Nil
3) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है	Nil	Nil	Nil	Nil
कुल (1+2+3)	Nil	Nil	Nil	Nil

VI निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक:

ए प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक:

क्रम सं०	पारिश्रमिक के विवरण	प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक
1	सकल वेतन	
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	38,53,537
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	6,22,067
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-
2	स्टॉक विकल्प	-
3	स्वेट इक्विटी	-
4	कमीशन – लाभ का प्रतिशत – अन्य (निर्दिष्ट करें)	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-
	कुल (ए)	44,75,604/-

बी अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक :


एमडी के अलावा अन्य निदेशक नामांकित निदेशक हैं और कंपनी द्वारा नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है

सी एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के लिए पारिश्रमिक

क्रम सं०	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
		साकेत कुमार सिंह, सीएस	वाईपी सक्सेना, सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन			
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7,54,178/-	6,18,995/-	13,77,264/-
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य	26,992/-	4,091/-	31,083 /-
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	- लाभ का प्रतिशत	-	-	-
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल	7,81,170/-	6,23,086/-	14,04,256/-

VII जुर्माना/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम का धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / सजा / कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	(आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट के अधिकार	अपील का विवरण अगर कोई है
(अ) कंपनी					
दंड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
सजा	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



(बी) निर्देशक					
दंड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
सजा	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(सी) अन्य अधिकारी डिफॉल्ट में					
दंड	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
सजा	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
कंपाउंडिंग	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के लिए

(बिजय कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन: 02943220

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
प्रिय सदस्यगण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का भारतीय लेखा मानक के साथ लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का विवरण, गत वर्ष में इक्विटी में परिवर्तन एवं नगदी प्रवाह का ब्यौरा तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय ब्यौरे के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लेखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं अन्य व्यापक आय सहित, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार कंपनी की इक्विटी में नकद प्रवाह और परिवर्तन, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया गया। इन्हे आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव भी शामिल हैं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान उचित और ठीक हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो ठीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाये गये और भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय लेखा मानक को हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणियों के बारे में राय व्यक्त करें। हमने लेखा परीक्षा के समय कंपनी की धारा 143 (11) के तहत खातों के हित में बनाए गए उन अधिनियमों का पालन किया है जो लेखा और लेखा परीक्षण मानकों और मामलों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया है। हमें उन मापदण्डों की आवश्यकता है, जो नैतिक आवश्यकताओं और योजनाओं को स्वीकार करते हैं और इस बारे में उचित निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षण करते हैं कि सभी वित्तीय विवरण पूरी तरह से सत्य व निष्पक्ष हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशि एवं खुलासे से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारणों और करभार के जोखिमों का आंकलन शामिल है। लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों के जोखिमों के आंकलन करने में कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक लेखापरीक्षण में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षण से प्राप्त वित्तीय विवरणों की जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त और उचित है।


सुझाव

हमारी सर्वोत्तम जानकारी व हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार जानकारी को सही तरीके से प्रदान करते हैं और 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में कंपनी के लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और इसके नकदी प्रवाह सहित अन्य मामलों की स्थिति, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा मानक मापदण्डों के लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होने के साथ-साथ एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

अन्य मामले

1 अप्रैल 2016 से शुरू और 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कंपनी की बैलेंस शीट की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी, भारतीय लेखा मानक के पास मौजूद है जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार पहले जारी किए गए सांविधिक वित्तीय विवरणों के आधार पर है, जिन पर लेखा परीक्षकों ने परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट्स 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की क्रमशः 27 जून 2017 और 4 अगस्त 2016 को दिये गये वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की, जो लेखा मानक द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों से तुलना करने के लिए कंपनी द्वारा समायोजित की गई, हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारे सुझाव में कोई परिवर्तन नहीं है।



अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. हम अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट), 2016, ("आदेश") के अनुसार, अनुलग्नक 'ए', के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्देशित मामलों पर अपना सीमित बयान व्यक्त करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (i) के अनुसार, लेखापरीक्षा के आधार पर है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।
 - बी) हमारी राय में कानूनी रूप से आवश्यक समुचित जानकारी लेखा पुस्तिका कंपनी द्वारा रखी गई है जो हमारे परीक्षण में पाई जाती हैं।
 - सी) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में बदलाव का बयान और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नगदी प्रवाह का विवरण खातों की लेखा पुस्तिका के साथ सम्बद्ध है।
 - डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं, जो संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पढ़े जाते हैं।
 - ई) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में अलग से हमारी रिपोर्ट, अनुलग्नक 'बी', पर एक अपरिवर्तनीय राय व्यक्त करती है।
 - एफ) कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक), 2014 की धारा 11 के अनुसार अन्य मामलों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :
 - (i) कंपनी ने इंडएएस में वित्तीय विवरणों के रूप में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव का खुलासा किया है।
 - (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक संभावित नुकसान हुआ हो।
 - (iii) निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के पास कोई राशि नहीं थी।


3. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि: –


क	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक/पट्टा है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक/पट्टा उपलब्ध नहीं हैं?	कंपनी के पास ऐसी कोई फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
ख	क्या ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है, यदि हां, तो इसमें शामिल राशि और कारण बताएं।	ऋण/उधार/ब्याज इत्यादि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला नहीं है।
ग	क्या सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त, तृतीय पक्ष के पास रखे हुए स्टॉक का सही रिकॉर्ड रखा।	तृतीय पक्ष के पास कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ है। सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार/अनुदान के सम्बद्ध में वर्ष के दौरान कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

ए.सी. गुप्ता
 (पार्टनर)
 सदस्यता संख्या: 008565

तारीख: 09.08.2018
 स्थान: नई दिल्ली





31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सदस्यों लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का लिए अनुबंध 'ए'

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, जैसा उचित माना जाता है एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में, हम व्यक्त करते हैं कि:

(i) अपनी अचल संपत्तियों के संबंध में: —

ए कंपनी ने मात्रात्मक, विवरण और अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित दस्तावेज सम्भाल कर रखे हुए हैं।

बी कंपनी के पास अपनी अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी अचल संपत्ति चरणबद्ध तरीके से सत्यापित की जाती हैं और इस कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के अंत में निश्चित संपत्तियों की पुष्टि की गई थी। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में किसी तरह ही भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

सी हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, क्योंकि कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी के नाम पर अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्यों को लागू करने की आवश्यकता पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) साल के अंत में कोई स्टॉक नहीं है।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, धारा 3 (iii) (ए), (बी) और (सी) कंपनी के (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 लागू नहीं होते हैं।

(iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में उल्लिखित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं है। इसलिए, अनुच्छेद 3 (4) का आदेश लागू नहीं होता है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) जैसा कि हमें बताया गया है, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (i) के तहत लागत रिकॉर्ड रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(vii) सांविधिक बकाया के संबंध में: —

(i) वैधानिक बकाया के संबंध में हमें प्रदान किए गए रिकॉर्ड्स, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के मुताबिक, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनिवार्य सांविधिक बकाया राशि, आयकर, सेवा कर, सामान और सेवा कर और अन्य सामग्री सहित नियमित रूप से जमा करती है। कम्पनी पर 31.3.2018 तक के एवं छः माह से पुरानी कोई भी अविवादित देय राशि बकाया नहीं है।

(ii) हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक आयकर की विवादित बकाया राशि 6,14,710/- है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, वैट, सामान

और सेवा कर, सेस और सांविधिक राशि बकाया नहीं है जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है। विवादित देय बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:

निर्धारण वर्ष	राशि (लाखों में)	अदालत जहां विवाद लंबित है
2015-16	6,14,710/-	सी आईटी अपील दिल्ली

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों की कोई बकाया राशि नहीं है और इसलिए यह धारा लागू नहीं है। डिबेंचर धारकों, सरकार और वित्तीय संस्थानों को चुकाने के लिए कोई देनदारी बकाया नहीं थी।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) या फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ) (ऋण साधनों सहित) और अवधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को हमारे लेखापरीक्षा के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम 177 और 188 के अनुपालन में हैं, सभी मान्य और उचित विवरण को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है जो लेखा मापदंडों के रूप में आवश्यक है।

(xiv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने साल के दौरान किसी भी अधिमान्य आवंटन या शेरों की निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित नहीं किए हैं।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N


ए.सी. गुप्ता

(पार्टनर)

सदस्यता संख्या: 008565

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली



कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-बी।

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च 2018 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरिष्कार पर दिशानिर्देश, जिसे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेखा अभिलेख की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनिय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग सम्बन्धि कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक सुझाव व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा नोट के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10), के तहत निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को लागू किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के आधार पर हम नैतिक आवश्यकताओं और योजनाओं का पालन करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करने और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फ़ैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं हमारी लेखापरीक्षा सुझाव के आधार के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो :

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और स्वभाव को सटीक रूप से और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए लेनदेन आवश्यक है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अनुचित या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

सुझाव

हमारी राय में, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 को प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहे थे, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने वाली कंपनी है।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

ए.सी. गुप्ता

(पार्टनर)

सदस्यता संख्या: 008565

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली


अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के खातों का लेखा परीक्षा आयोजित किया जाता है कि हमारे द्वारा सभी निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया गया है।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

ए.सी. गुप्ता
 (पार्टनर)
 सदस्यता संख्या: 008565

तारीख: 09.08.2018
 स्थान: नई दिल्ली




राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च 2018 तक की बैलेंस शीट

राशि (लाख रुपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
I	संपत्ति				
1	गैर मौजूदा परिसंपत्ति				
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	883.69	101.39	-
	(ख) पूंजीगत प्रगति कार्य	4	2,290.98	433.37	-
	(ग) अन्य अमूर्त संपत्तियां	5	2.80	1.51	-
	(घ) वित्तीय संपत्ति	6			
	(i) ऋण/सुरक्षा जमा	6.1	15.34	14.36	-
	(ड.) आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	7	2.69	3.42	8.65
	(च) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्ति	8	1,332.69	3.55	-
			4,528.19	557.60	8.65
2	मौजूदा संपत्ति				
	(क) वित्तीय संपत्ति	9			
	(i) नकद और नकद के समान	9.1	871.87	620.07	2.00
	(ii) उपरोक्त (i) के अलावा बैंक शेष राशि	9.2	6,356.56	9,523.42	10,487.11
	(iii) ऋण/सुरक्षा जमा	9.3	1.98	-	-
	(iv) अन्य	9.4	287.23	648.94	305.80
	(ख) मौजूदा कर संपत्ति (शुद्ध)	10	25.05	0.35	0.35
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	11	34.44	1.44	-
			7,577.13	10,794.22	10,795.26
	कुल संपत्तियां		12,105.32	11,351.82	10,803.91
II.	इक्विटी एवं देयता				
1	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	(क) अन्य इक्विटी	13	1,464.94	1,195.17	796.69
			11,464.94	11,195.17	10,796.69



विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
2 देनदारियां				
(i) गैर मौजूदा देनदारियां				
(क) प्रावधान	14	18.73	2.57	-
		18.73	2.57	-
(ii) मौजूदा देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां	15			
(i) अन्य	15.1	479.92	86.31	2.03
(ख) अन्य चालू देनदारियां	16	111.57	36.83	0.13
(ग) लघु अवधि प्रावधान	17	30.16	0.16	-
(घ) मौजूदा कर देनदारियां (शुद्ध)	18	-	30.78	5.06
		621.65	154.08	7.22
कुल इक्विटी और देनदारियां		12,105.32	11,351.82	10,803.91

सामान्य जानकारी

1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

2

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल की तरफ से और उसके लिए

फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700(बिजय कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन: 02943220

ए.सी. गुप्ता (पार्टनर)

सदस्यता संख्या: A008079N

(वाईपी सक्सेना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
एम नं A21652

तारीख: 09.08.2018


स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का ब्यौरा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I संचालन से राजस्व		-	-
II अन्य आय	19	634.00	792.85
III कुल राजस्व (I+II)		634.00	792.85
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	20	43.33	56.96
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	21	19.36	14.21
अन्य खर्च	22	206.11	126.84
IV कुल व्यय (IV)		268.79	198.01
V असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III+IV)		365.21	594.85
VI असाधारण मदें		-	-
VII कर से पहले लाभ (V-VI)		365.21	594.85
VIII कर व्यय:			
(1) मौजूदा कर	23	99.49	191.14
(2) पिछले साल का कर		(4.78)	-
(3) स्थगित कर	23	0.73	5.23
IX निरंतर संचालन (VII-VIII) की अवधि के लिए लाभ/हानि		269.77	398.48
X बंद संचालन से लाभ/हानि		-	-
XI बंद संचालन का कर खर्च		-	-
XII बंद संचालन से लाभ/हानि (X-XI)		-	-
XII अवधि के लिए लाभ/हानि (IX-XII)		269.77	398.48
XIV अन्य व्यापक आमदनी			
अ (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत की जाएंगी			
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-



विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
बी (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			-
XV अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए शामिल लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय		269.77	398.48
XVI प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(निरंतर संचालन के लिए)			
(1) मूल	24	2.70	3.98
(2) पतला	24	2.70	3.98
XVII प्रति इक्विटी शेयर आय :			
(ऑपरेशन बंद करने के लिए)			
(1) मूल		-	-
(2) पतला		-	-
XVIII प्रति इक्विटी शेयर आय :			
(निरंतर और बंद संचालन के लिए)			
(1) मूल	24	2.70	3.98
(2) पतला	24	2.70	3.98

नोट्स इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हिस्सा हैं।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स निदेशक मंडल की तरफ से और उसके लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

(विनय कुमार सिंह)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 06497700

(बिजय कुमार त्रिपाठी)

निदेशक

डीआईएन: 02943220

ए.सी. गुप्ता (पार्टनर)

सदस्यता संख्या: A008079N

(वाईपी सक्सेना)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

तारीख: 09.08.2018

स्थान: नई दिल्ली

(साकेत कुमार सिंह)


कंपनी सचिव

एम नं A21652

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह का ब्यौरा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. ऑपरेटिंग गतिविधियों से नगदी प्रवाह			
कर और असाधारण मदों से पहले लाभ		365.21	594.85
के लिए समायोजन: -			
मूल्यह्रास		19.36	14.21
ब्याज आय		(632.58)	(792.16)
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पहले ऑपरेटिंग लाभ	(1)	(248.01)	(183.11)
के लिए समायोजन: -			
अन्य मौजूदा संपत्तियों में कमी/वृद्धि		(33.00)	(0.37)
अन्य मौजूदा वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि		253.93	(402.90)
गैर चालू वित्तीय संपत्ति ऋण में कमी/वृद्धि		0.09	(18.98)
मौजूदा वित्तीय संपत्ति ऋण में कमी/वृद्धि		(1.98)	
अन्य वित्तीय देयता में कमी/वृद्धि		393.61	84.28
अन्य मौजूदा देयता में कमी/वृद्धि		74.74	36.70
गैर मौजूदा देयता में कमी/वृद्धि		16.16	2.57
लघु अवधि प्रावधानों में कमी/वृद्धि		30.00	0.16
	(2)	733.55	(298.54)
ऑपरेशन से उत्पन्न नकद	(1+2)	485.54	(481.65)
आयकर भुगतान		(150.19)	(165.42)
ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न कुल नकद		335.35	(647.07)
बी. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य अमूर्त संपत्तियों की खरीद		(2,660.56)	(550.48)
प्राप्त करने योग्य ब्याज		740.36	851.92
पूंजीगत अग्रिम		(1,330.21)	-
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		3,166.86	963.69
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद		(83.55)	1,265.13



विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
सी. वित्त पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह	-	-
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (ए+बी+सी)	251.80	618.07
नकदी अथशेष और नकद समकक्ष	620.07	2.00
नकदी इतिशेष और नकद समकक्ष	871.87	620.07
नकदी और नकद समकक्ष, जिसमें बैंकों की शेष राशि शामिल है		
- चालू खाते में	871.27	619.42
अग्रदाय खाते में	0.60	0.65
बैलेंस शीट के अनुसार नकदी और नकद समकक्ष	871.87	620.07

टिप्पणी:

1. भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नगदी प्रवाह बयान पर इंडएएस-7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नगदी प्रवाह बयान तैयार किया गया है।

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

निदेशक मंडल की तरफ से और उसके लिए

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

(बिजय कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन: 02943220

ए.सी. गुप्ता (पार्टनर)
सदस्यता संख्या: A008079N

(वाईपी सक्सेना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
एम नं A21652

तारीख: 09.08.2018
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का ब्यौरा

ए. इक्विटी शेयर पूंजी


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	लाखों में शेयरों की संख्या	रकम
1 अप्रैल, 2016 को शेष	100.0	10,000.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी जारी करना	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	100.0	10,000.0
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी जारी करना	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	100.0	10,000.0

बी. अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	भंडार और अधिशेष		कुल
	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	
अप्रैल, 2016 में शेष	-	796.69	796.69
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2016 को प्रतिबंधित शेष	-	796.69	796.69
इस साल का मुनाफा		398.48	398.48
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	-	-
साल के लिए कुल व्यापक आय	-	398.48	398.48
लाभांश अदा किया	-	-	-
31 मार्च, 2017 को शेष	-	1,195.17	1,195.17



इस साल का मुनाफा	-	269.77	269.77
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	-	-
साल के लिए कुल व्यापक आय	-	269.77	269.77
लाभांश अदा किया	-	-	-
31 मार्च, 2018 को शेष	-	1,464.94	1,464.94

मैसर्स ए.सी. गुप्ता एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: A008079N

निदेशक मंडल की तरफ से और उसके लिए

(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

(बिजय कुमार त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन: 02943220

ए.सी. गुप्ता (पार्टनर)
सदस्यता संख्या: A008079N

(वाईपी सक्सेना)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(साकेत कुमार सिंह)
कंपनी सचिव
एम नं A21652

तारीख: 09.08.2018
स्थान: नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1. सामान्य जानकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है (U60200DL2013GOI256716), और 21 अगस्त, 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत जिसका उद्देश्य डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन और एनसीआर कस्बों को आरामदायक और तेजी से पारगमन प्रदान करने और परिवहन मांग में उच्च वृद्धि को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को बनाए रखना है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 7/6, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110049 पर स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.01 तैयारी का आधार

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, 2016 और कंपनी भारतीय लेखा मानक संशोधित नियम 2017 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।


31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष तक एवं पूरी समय अवधि के लिए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 (भारतीय जीएएपी) की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण, कंपनी के पहले इंड एस वित्तीय विवरण हो रहे हैं। (नोट नंबर 37 देखें)

2.02 मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत सम्मेलन और एक संचय आधार पर तैयार किया गया है, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों और परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को छोड़कर जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक द्वारा आवश्यक उचित मूल्य पर मापा गया है। (नोट नंबर 6.1 देखें)

2.03 अनुमान और निर्णय का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्णय लेने, अनुमान और अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करते हैं और संपत्ति की राशि की सूचना, देनदारियों, अनिश्चित संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की तारीख एवं आय और व्यय की राशि की सूचना देते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।



आवधिक आधार पर अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच अंतर के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और अनुमान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिककृत होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:** उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर मूल्यह्रास विधि के साथ समीक्षा की जाती है। जीवन ऐतिहासिक अनुभवों के साथ-साथ भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित हैं।
- **प्रावधान:** बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को सुलझाने के अनुमान के आधार पर प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं।
- **अनिश्चित देयताएं/संपत्तियां:** अनिश्चित देयता/संपत्ति प्रबंधन के फैसले के आधार पर प्रकट की जाती है, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।
- **गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण:** पीपीई की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की धारणाओं के फैसले के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान:** आस्थगित कर संपत्ति भविष्य में कर योग्य आय की संभावना के आकलन के आधार पर पहचानी जाती है जिसके खिलाफ आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भविष्य के दायित्व:** कर्मचारी लाभ दायित्वों को निम्नांकित धारणाओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास से संबंधित धारणा, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी मानती है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएं उचित और आलेख हैं। हालांकि, इन धारणाओं में किए गए किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप गणनाओं पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

2.04 सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रुपये में और सभी मूल्य राशि निकटतम लाखों में रखी गई है, अन्यथा वहां दर्शाया नहीं गया है।

2.05 नकदी प्रवाह पर विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर से पहले लाभ/(हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतान के किसी भी स्थगन या संचय के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकदी, बैंकों में नकदी और बैंकों में मांग जमा, बकाया मांग पर चुकाए जाने वाले बैंक ओवरड्राफ्ट्स शामिल हैं जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारम्भ और समापन शेष के बीच मिलान को शामिल करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

2.06 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें कंपनी वित्तीय विवरणों का संचालन कार्यात्मक मुद्रा में करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपया (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में अंकित लेनदेन, लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विनिमय दर पर किया जाता है। निपटारे या मौद्रिक मदों के अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण


(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को कम संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानि, यदि कोई हो, की लागत पर मापा जाता है

संपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लागत
2. स्वीकृत मानदंडों के पूरा होने पर साइट बहाल करना जहां यह स्थित है और मदों को तोड़ने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य है।

(बी) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण पार्ट्स की मरम्मत पूंजीकृत है यदि स्वीकृत मानदंडों को पूरा किया जाता है।

(सी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद जो निपटान के दौरान अमान्य है या संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में जिसका कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी बिक्री लाभ या हानि से आय और संपत्ति की दुलाई पर खर्च होने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि के ब्यौरों में शामिल होती है।



भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के लिए, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल, 2016 (परिवर्तन तिथि) के रूप में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वाहक मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है और वह अनुमानित मूल्य को माना जाता है जो परिवर्तन तिथि को मौजूद है।

संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
संयंत्र और मशीनरी	15
कंप्यूटर	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर और फिक्स्चर	10
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में प्रदान की गई संपत्ति	4

(डी) पट्टाधृत सुधार उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित होते हैं जिसमें इस तरह के सुधार पूंजीकृत होते हैं

(ई) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

2.08 अमूर्त संपत्ति

एक अमूर्त संपत्ति, वह संभावित संपत्ति है जो भविष्य में कंपनी के आर्थिक लाभ को प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार है और जिसकी लागत को मापा जा सकता है। अप्रत्यक्ष संपत्तियों में पिछली लागत में कम संचित ऋणमुक्ति और क्षतिग्रस्त हानि, यदि कोई हो, शामिल है।

ऋणमुक्ति

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधे उस तारीख से सीधे आधार पर रखा जाता है, जो वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

अमूर्त संपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

अप्रत्यक्ष संपत्ति	उपयोगी जीवन	आंतरिक रूप से जेनरेट या स्वयं उत्पन्न
सॉफ्टवेयर	3	प्राप्त की

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर ऋणमुक्ति विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के लिए, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल, 2016 (परिवर्तन तिथि) के रूप में मान्यता प्राप्त अमूर्त संपत्तियों के वाहक मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है और उस मूल्य का उपयोग परिवर्तन तिथि के रूप में समझा जाता है।

2.09 पूंजीगत कार्य में प्रगति

कंपनी द्वारा किए गए परियोजना के साथ सीधे पहचाने जाने वाले व्यय को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत "पूंजीगत कार्य में प्रगति" में डेबिट किया जाता है। परियोजना से संबंधित कर्मचारी लाभ और अप्रत्यक्ष व्यय की तरह के अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना को प्रसारित किए गए हैं। परियोजना पर अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ परियोजना के अलावा अन्य अप्रत्यक्ष व्यय को व्यक्तिगत परियोजना कॉरिडोर और अन्य प्रासंगिक कारकों में शामिल प्रयासों पर विचार करने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रोजेक्ट को आवंटित किया गया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय जैसे कि उधारित फंड पर अर्जित ब्याज आय, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि निर्माण के दौरान व्यय में समायोजित की जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन के लिए, कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया 1 अप्रैल, 2016 (परिवर्तन तिथि) के रूप में मान्यता प्राप्त प्रगति में पूंजीगत कार्य के वाहक मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है और इसका उपयोग उस मूल्य को परिवर्तन तिथि के रूप में माना जाता है।

2.10 गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि

संपत्तियों की हानि पर भारतीय लेखा मानक -36 के अनुसार, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की ली जाने वाली रकम की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान उसकी फेयर वैल्यू से उच्च मूल्य पर बेचने के लिए कम लागत और उपयोगी मूल्य से लगाया जाता है। एक क्षतिग्रस्त हानि, लाभ और हानि के विवरणों से पहचानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति में उसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई, उसकी ली जाने वाली राशि, इसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक हो जाती है। पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त क्षतिग्रस्त हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव आया है और ऐसे नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। क्षतिग्रस्त नुकसान में बदलाव लाभ और हानि के विवरणों में देखा जाता है।


2.11 अ) राजस्व मान्यता

i) राजस्व कंपनी को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त संभावित आर्थिक लाभ का विस्तार करना है और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। हालांकि, जब राजस्व में पहले से शामिल राशि की एकत्रितता के बारे में कोई अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो अनावश्यक राशि, या जिस रिकवरी के संबंध में वसूली संभव हो जाती है, उसे राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय व्यय के रूप में पहचाना जाता है जो पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

ii) राजस्व प्राप्त या प्राप्त योग्य मुआवजे के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बी) अन्य राजस्व मान्यता

i) ब्याज आय प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर बकाया राशि और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए एक समय अनुपात आधार पर मान्यता प्राप्त है।



- ii) लाभांश को मान्यता दी जाएगी जब संस्थाओं को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है, आर्थिक लाभ इकाई के लिए प्रवाह होगा और राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

2.12 सेवानिवृत्ति लाभ

- ए) अवधि के लिए भविष्य निधि में योगदान व्यय के रूप में पहचाना जाता है और लाभ और हानि के विवरण पर चार्ज किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ, बीमार छुट्टी, अर्जित छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत की ओर कम्पनी के दायित्व को वास्तविक रूप से निर्धारित और प्रदान की जाती है।
- बी) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता और शुद्ध परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) को शामिल करने वाली राशि को छोड़कर, वास्तविक लाभ और हानि, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव), उस अवधि में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तत्काल मान्यता प्राप्त है। पुनः माप को बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

2.13 उधार लागत

क्वालीफाइंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट उधारी लागत, ऐसी संपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है जब तक कि संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो।

एक योग्यता संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसके लिए आवश्यक उद्देश्य के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है, जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.14 आयकर

ए) वर्तमान आयकर

आय पर कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्तमान कर संपत्तियां और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त रकम को निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देयता को नेट आधार पर व्यवस्थित करने का इरादा होता है।

ओसीआई मदों से संबंधित वर्तमान कर अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचानी जाती है।


बी) आस्थगित कर

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक (इंड एस-12) "आयकर" के अनुसार

- ▶ आस्थगित आयकर संपत्तियां और देनदारियां अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, जिनकी कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके गणना की जाती है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किए गए हैं।
- ▶ आस्थगित आयकर संपत्ति को इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ▶ आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों की भरपाई कर रहे हैं जब मौजूदा कर का प्रतिनिधित्व करने वाली देनदारियों के खिलाफ परिसंपत्तियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जहां आस्थगित कर संपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियां समान शासकीय कराधान कानूनों द्वारा लगाई गई आय पर करों से संबंधित होती हैं।
- ▶ आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बैलेंस शीट तिथि द्वारा अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, समूह गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनःआकलन करता है, यदि कोई हो।
- ▶ आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की ले जाने वाली राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित आयकर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।
- ▶ ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में पहचाने जाने हैं

2.15 निवेश संपत्ति

- ए) निवेश संपत्ति में पूर्ण सम्पत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्त पट्टे पर रखी गई सम्पत्ति शामिल हैं जिसका व्यापार के सामान्य कोर्स में बिक्री या उत्पादन में इस्तेमाल करने या प्रशासनिक कार्यों की बजाए, पूंजी में मूल्य वृद्धि या किराया कमाने या दोनों के लिए आयोजित किया जाता है।
- बी) निवेश संपत्ति लागत पर, एकत्रित मूल्यहास और एकत्रित खराब हानि का शुद्ध यदि कोई हो, पर दिया गया है।
- सी) कंपनी मूल खरीद की तारीख से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में वर्णित जीवन पर निवेश संपत्ति के प्रत्येक घटक को कम करती है।
- डी) निवेश संपत्तियों की या तो तब से मान्यता रद्द हो जाती है जब उनका निपटान किया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उनके निपटारे से कोई भविष्य आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर को मान्यता को रद्द करने की अवधि के दौरान लाभ या हानि में पहचानी जाती है।



2.16 प्रावधान, अनिश्चित देयताएं और अनिश्चित संपत्तियां

ए) देनदारियों के संबंध में प्रावधानों को पहचाना जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानों की एक बड़ी डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जब:

1. पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो।
2. आर्थिक लाभ को जोड़ने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह के दायित्व को सुलझाने की आवश्यकता होगी; तथा
3. दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान की राशि दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

बी) अनिश्चित देयताएं निम्नलिखित मामलों में से किसी एक में प्रकट की गई हैं:

1. एक पिछली घटना से उत्पन्न होने वाली एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा; या
2. वर्तमान दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है; या
3. एक संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूर नहीं है।

अनिश्चित देयताएं और अनिश्चित संपत्तियों के खिलाफ आकस्मिक दायित्व और प्रावधानों को जिनकी आवश्यकता है की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

सी) अनिश्चित संपत्ति का खुलासा किया गया है जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

2.17 पट्टे

वित्त पट्टा: –

वित्त पट्टे, जो प्रभावी रूप से कंपनी को हस्तांतरित करते हैं, पट्टा परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए अनिश्चित सभी जोखिमों और लाभों को उचित मूल्य के निचले हिस्से में पूंजीकृत किया जाता है और लीज अवधि की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य और पट्टा परिसंपत्ति में खुलासा हुआ।

पट्टा भुगतान वित्त शुल्कों और रिटर्न की निहित दर के आधार पर लीज देयता में कमी के बीच विभाजित की जाती है। लाभ और हानि के विवरण में वित्त प्रभार को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

i) संपत्ति के उपयोगी जीवन पर कमी आई। हालांकि, यदि पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई उचित निश्चितता नहीं है, तो परिसंपत्ति/संपत्ति और अनुमानित पट्टे की अवधि के अनुमानित उपयोगी जीवन की कमी से मूल्यहास हुआ।

परिचालन पट्टा: –

- i) जोखिम और पुरस्कार के महत्वपूर्ण हिस्से को कंपनी में स्थानांतरित नहीं किया जाता है जब परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ii) लीज अवधि के दौरान भुगतान सीधे लाइन के आधार पर लाभ और हानि को प्रभावित किया जाता है, सिवाय इसके कि अनुमानित मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप लीज भुगतान की संरचना की जाती है।

2.18 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर की मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारी औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारी औसत संख्या सभी डाईल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयर के प्रभाव के लिए समायोजित की जाती है।

2.19 इक्विटी धारकों को लाभांश

लाभांश भुगतान किया है, देय वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें संबंधित लाभांश शेयरधारकों या निदेशक मंडल द्वारा उचित रूप से अनुमोदित होते हैं।

2.20 उचित मूल्य मापन

- i. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।
- ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप की तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप अनुमान पर आधारित है कि संपत्ति बेचने या देयता हस्तांतरण करने के लिए लेनदेन या तो होता है:

- संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- संपत्ति या देयता के लिए सबसे फायदेमंद बाजार में, एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में।

मूल या सबसे फायदेमंद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। परिसंपत्ति या उत्तरदायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग संपत्ति या देयताओं का मूल्य निर्धारण करते समय किया जाएगा, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

कंपनी परिस्थितियों में उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अनावश्यक इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए उपलब्ध हैं।



2.21 वित्तीय उपकरण:

i) आरंभिक पहचान और माप

वित्तीय संपत्ति और देयताएं तब पहचानी जाती हैं जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन लागत जो सीधे अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) के लिए जिम्मेदार हैं, वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देयताओं की आरंभिक पहचान पर उचित मूल्य पर माप से जोड़ा या कटौती की जाती है।

ii) बाद के माप

वित्तीय संपत्ति

वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है

ए) परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए इन संपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों की नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि होती है जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान है।

बी) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय संपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे व्यवसाय के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तों को प्राप्त करके दोनों को प्राप्त किया जाता है, तो नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह से भुगतान कर रहे हैं।

सी) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से मापा जाता है जब तक इसे आरंभिक पहचान पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाए। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे लेनदेन लागत प्रभावी रूप से लाभ या हानि में पहचानी जाती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

ए) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य भुगतान, सुरक्षा जमा और प्रतिधारण धन आदि द्वारा प्रतिनिधित्व की गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां आरंभिक रूप से उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, और बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाती हैं।

ब) एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियां

कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी भी वित्तीय देनदारियों को नामित नहीं किया है।

iii) पहचान वापिस लेना

वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) की केवल तभी पहचान वापिस ली जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का अनुबंध अधिकार समाप्त हो जाता है या यह वित्तीय संपत्तियों और पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम और संपत्ति के पुरस्कार को स्थानांतरित करता है।


वित्तीय दायित्व

वित्तीय देयता की केवल तभी पहचान वापिस ली जाती है जब देयता के तहत दायित्व को निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे में काफी अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की पहचान वापिस लेने और नई देयता की पहचान माना जाता है, और संबंधित वाहक राशि में अंतर लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

4) वित्तीय संपत्तियों की हानि:

कंपनी खराब हानि के माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है। व्यापार प्राप्त पर खराब हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के आवेदन के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक आरंभिक पहचान से, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर खराब हानि भत्ता को मान्यता देता है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीपीएल ऋण उपकरणों पर किए गए संपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के आगे के आधार पर आकलन करती है। हानि पद्धति इस बात पर लागू होती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।



2.22 अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल खराब हानि भत्ता (या उलटा) लाभ और हानि के विवरण में आय / व्यय के रूप में पहचान जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियां बिक्री के लिए आयोजित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं जब उनकी ले जाने वाली राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावना माना जाता है। बिक्री की अत्यधिक संभावना केवल तभी मानी जाती है जब संपत्ति और निपटान या वर्तमान हालात में तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध है, यह संभावना नहीं रहती कि बिक्री को वापिस ले लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक साल के भीतर बिक्री हो जाएगी। समूहों के रूप में वर्गीकरण बिक्री के लिए आयोजित वहन राशि को निचले और बिक्री के उचित का मूल्य लागत दिया गया है संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों को बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकरण के बाद वर्गीकृत या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए आयोजित वर्गीकृत संपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एस-105 के रूप में बताए गए मानदंड "बिक्री और रुके हुए संचालन के लिए आयोजित गैर-चालू संपत्ति" नहीं मिलते हैं, तो निपटान समूह को आयोजित बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाना बंद कर दिया जाता है। गैर-चालू परिसंपत्ति जिसे आयोजित बिक्री के रूप में वर्गीकरण से हटा दिया जाता है, को (i) संपत्ति के वर्गीकृत किया जाने से पहले इसकी ले जाने वाली राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है, जिसे मूल्यहास के लिए समायोजित किया गया था, जिसे संपत्ति को (ii) आयोजित बिक्री के रूप में जिस दिनांक को निपटान समूह का वर्गीकरण रोक दिया गया, उसका वसूली योग्य राशि निम्न हिस्से से नापा जाता है।

2.23 बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाक्रम

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली घटनाएं भारतीय लेखा मानक 10 (आकस्मिक व्यय और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाओं) के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी में माना जाता है।

2.24 लेखा नीतियां जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, का खुलासा नहीं किया गया है। जब ऐसी लेखांकन नीतियां प्रासंगिक हो जाती हैं, तो इसका खुलासा किया जाएगा।

2.25 मानक जारी किए लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अभी तक प्रभावी नहीं है

इंड एस-115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

एमसीए ने 28 मार्च, 2018 को ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर इंड एस-115 को अधिसूचित किया था। मानक एक नया पांच कदम मॉडल स्थापित करता है जो ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व पर लागू होगा। इंड एस-115 में सिद्धांत राजस्व को मापने और पहचानने के लिए एक और संरचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नया राजस्व मानक सभी संस्थाओं पर लागू होता है और भारत एस के तहत सभी मौजूदा राजस्व मान्यता आवश्यकताओं को पार कर जाएगा।

इंडएस-115 की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी को 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष द्वारा मानक अपनाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

नोट: 3


संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	ईडीपी संपत्तियां	पट्टाधृत सुधार	दफ्तर के उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कुल
सकल वाहक राशि					
1 अप्रैल 2016 का	-	-	-	-	-
परिवर्धन	18.72	50.35	20.64	25.41	115.12
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	18.72	50.35	20.64	25.41	115.12
परिवर्धन	39.48	596.54	123.57	123.67	883.26
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 का	58.20	646.89	144.21	149.08	998.38
संचित मूल्यहास और हानि					
1 अप्रैल 2016 को	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यहास लगाया	3.13	6.08	2.99	1.53	13.73
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को	3.13	6.08	2.99	1.53	13.73
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क लगाया गया	12.03	60.22	19.40	9.31	100.96
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	15.16	66.30	22.39	10.84	114.69
नेट कैरीइंग वैल्यू					
31 मार्च 2018 को	43.04	580.59	121.82	138.24	883.69
31 मार्च 2017 को	15.59	44.27	17.65	23.88	101.39
1 अप्रैल 2016 को	-	-	-	-	-

नोट 3.1 इंड एस-101 छूट:

कंपनी ने इंड एस-101 के तहत उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के ले जाने वाले मूल्य को पिछले जीएपी के तहत निर्धारित राशि पर आगे बढ़ाया गया है।



नोट: 4

प्रगति में पूंजीगत कार्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	-
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	433.37
समायोजन	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	433.37
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	2,096.57
समायोजन (पूंजीकृत)	(238.96)
31 मार्च 2018 को इतिशेष	2,290.98

नोट: 4.1

प्रगति में पूंजीगत कार्य का विवरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	1 अप्रैल, 2016 को	परिवर्धन	समायोजन	31 मार्च, 2017 को	परिवर्धन	समायोजन (पूंजीकृत)	31 मार्च, 2018 को
ए) पूंजीगत डब्ल्यूआईपी- अन्य (गैर परियोजना)							
पट्टाधृत सुधार	-	167.10	-	167.10	71.86	(238.96)	-
कुल	-	167.10	-	167.10	71.86	(238.96)	-
बी) परियोजना व्यय							
प्रारंभिक परियोजना खर्च	-	162.39	-	162.39	708.38	-	870.77
निर्माण के दौरान अनिश्चित व्यय (नोट संख्या 4.2 देखें)	-	105.05	-	105.05	1,319.94	-	1,424.99
निविदा की बिक्री	-	(1.17)	-	(1.17)	(3.61)	-	(4.78)
कुल	-	266.27	-	266.27	2,024.71	-	2,290.98
कुल योग	-	433.37	-	433.37	2,096.57	(238.96)	2,290.98

नोट: 4.2

निर्माण के दौरान अनिश्चित व्यय का विवरण

नोट: 4.2.1 मूल्यहास और परिशोधन लागत

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास (नोट -3 देखें)	82.27	-
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट -5 देखें)	0.90	-
उप-योग (ए)	83.17	-

नोट: 4.2.2 कर्मचारी लाभ व्यय


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और बोनस	517.12	30.63
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	0.05
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	30.48	-
उप-योग (बी)	547.60	30.68

नोट: 4.2.3 अन्य व्यय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय का किराया	226.67	27.64
शुल्क दरों और करों	1.15	0.15
मरम्मत रखरखाव और अन्य	3.40	0.46
बिजली और ईंधन	12.78	0.56
यात्रा खर्च	178.96	11.69
लेखा परीक्षकों को भुगतान	-	-
कानूनी और व्यावसायिक फीस	95.83	10.29
छपाई और लेखन सामग्री	23.97	2.65
संचार खर्च	26.19	1.16
किताबें और पत्रिकाएं	0.26	0.05
बैठक और सम्मेलन	15.57	3.15
व्यापार संवर्धन व्यय	37.26	8.42
हाउसकीपिंग व्यय	61.83	7.33
विविध व्यय	5.30	0.82
उप-योग (सी)	689.17	74.4
अनिश्चित व्यय का कुल योग (ए + बी + सी)	1,319.94	105.05



नोट: 4.3 इंड एस-101 छूट

कंपनी ने इंड एस-101 के तहत उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और तदनुसार, पूंजीगत कार्य के वाहक मूल्य को पिछले जीएएपी के तहत निर्धारित राशि पर आगे बढ़ाया गया है।

नोट: 5

अमूर्त संपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	1.99	1.99
समायोजन	-	-
31 मार्च 2017 को इति शेष	1.99	1.99
वर्ष के दौरान जोड़	2.41	2.41
समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 को इति शेष	4.40	4.40
क्षतिग्रस्तता एवं परिशोधन		
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.48	0.48
वर्ष के दौरान क्षति	-	-
31 मार्च 2017 को इति शेष	0.48	0.48
वर्ष के दौरान परिशोधन	1.12	1.12
वर्ष के दौरान क्षति	-	-
31 मार्च 2018 को इति शेष	1.60	1.60
शुद्ध वहन मूल्य		
31 मार्च 2018 को	2.80	2.80
31 मार्च 2017 को	1.51	1.51
1 अप्रैल 2016 को	-	-

नोट: 5.1 इंड एस-101 छूट:

कंपनी ने इंड एस-101 के तहत उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और तदनुसार, अमूर्त संपत्तियों का वहन वाला मूल्य पिछली जीएएपी के तहत निर्धारित राशि पर आगे बढ़ाया गया है।

नोट: 6

वित्तीय संपत्तियां – गैर-मौजूदा

नोट: 6.1 ऋण / सुरक्षा जमा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
सुरक्षा जमा – एएमडीए	15.34	14.36	-
कुल	15.34	14.36	-

नोट: 7


स्थगित संपत्ति कर / (देयताएं)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
ए. स्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(1.06)	1.62	-
स्थगित कर देयताओं का जोड़	(1.06)	1.62	-
बी. स्थगित कर संपत्तियां			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1.63	0.59	-
प्राथमिक खर्च	-	4.45	8.65
स्थागित कर संपत्तियों का जोड़	1.63	5.04	8.65
शुद्ध स्थगित संपत्ति कर / (देयताएं)	2.69	3.42	8.65

स्थगित संपत्ति कर / देयता में गति

विवरण	प्रावधान	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	प्राथमिक खर्च	कुल
1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष	-	-	8.65	8.65
2016-17 के दौरान प्रभावित जमा	-	-	-	-
लाभ और हानि के लिए	0.59	(1.62)	(4.20)	(5.23)
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-	-
31 मार्च 2017 को इतिशेष	0.59	(1.62)	4.45	3.42
2017-18 के दौरान प्रभावित जमा	-	-	-	-
लाभ और हानि के लिए	1.04	2.68	(4.45)	-0.73
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को इतिशेष	1.63	1.06	-	2.69



नोट: 8

अन्य गैर-चालू संपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
ए) पूंजीगत अग्रिम	1,330.21	-	-
बी) उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा*	2.48	3.55	-
कुल	1,332.69	3.55	-

*यह सुरक्षा जमा के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के असंगत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 9: वित्तीय संपत्ति- मौजूदा

नोट 9.1: नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
बैंकों के साथ शेष राशि:		-	-
- चालू खाते में	18.19	21.46	2.00
- फ्लेक्सी जमा में	853.08	597.96	-
- अग्रदाय में	0.60	0.65	-
कुल	871.87	620.07	2.00

नोट: 9.2: नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
सावधि जमा 3 महीने की परिपक्वता है लेकिन 12 महीने से कम है	6,356.56	9,523.42	10,487.11
कुल	6,356.56	9,523.42	10,487.11

नोट: 9.3 ऋण/सुरक्षा जमा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है			
सुरक्षा जमा - लीज किराया कर्मचारी	1.98	-	-
कुल	1.98	-	-

नोट: 9.4 अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	138.26	246.04	305.80
शहरी विकास मंत्रालय से वसूली योग्य	-	401.60	-
एएमडीए से वसूली योग्य	147.57	-	-
अन्य वसूली योग्य	1.40	1.30	-
कुल	287.23	648.94	305.80

नोट: 10

मौजूदा कर संपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
अग्रिम कर और टीडीएस (एवाई 2017-18)	5.13	-	-
अग्रिम कर और टीडीएस (एवाई 2018-19)	118.18	-	-
कम: आयकर के लिए प्रावधान	(99.49)	-	-
अग्रिम कर और टीडीएस (प्रावधानों का नेट)	23.82	-	-
आयकर वापसी योग्य	-	0.35	0.35
अपील के लिए जमा	1.23	-	-
कुल	25.05	0.35	0.35


नोट: 11

अन्य मौजूदा संपत्तियां

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	-	0.37	-
उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा*	1.07	1.07	-
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	20.89	-	-
प्रीपेड खर्च	12.48	-	-
कुल	34.44	1.44	-

*यह सुरक्षा जमा के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर के असंगत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।



नोट: 12

इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
अधिकृत शेयर पूंजी			
100 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(31 मार्च 2017 और 1 अप्रैल 2016 को 100 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
जारी/सदस्यता और भुगतान पूंजी			
100 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000	10,000
(31 मार्च 2017 और 1 अप्रैल 2016 को 100 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 1,00,00,000 इक्विटी शेयर)			
	10,000.00	10,000	10,000

नोट: 12.1 इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का सामंजस्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक	
	लाखों में शेयरों की संख्या	रकम	लाखों में शेयरों की संख्या	रकम
वर्ष के अंत में जारी/सब्सक्राइब किया गया और बकाया इक्विटी पूंजी का भुगतान	100	10,000.00	100.00	10,000.00
जोड़ें: साल के दौरान जारी शेयर (बोनस)	-	-	-	-
जारी/सब्सक्राइब किया गया और बकाया इक्विटी पूंजी का भुगतान	100	10,000.00	100.00	10,000.00

नोट 12.2: शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसमें 100 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक आयोजित प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरधारक के अनुपात में, सभी अधिमानी रकम के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट: 12.3 कंपनी के कुल शेयरों में से 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक		1 अप्रैल 2016 को	
	शेयरों की संख्या	धारित राशि का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारित राशि का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारित राशि का प्रतिशत
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%
रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%	22,50,000	22.50%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5,00,000	5.00%	5,00,000	5.00%	5,00,000	5.00%
राज्य सरकार						
दिल्ली की एनसीटी सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
हरियाणा सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
राजस्थान सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
उत्तर प्रदेश सरकार	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%	12,50,000	12.50%
कुल	100,00,000	100%	100,00,000	100%	100,00,000	100%

नोट: 12.4 रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले चार साल की अवधि के दौरान बोनस के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या


विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	31 मार्च 2013 तक
	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में	संख्या लाखों में
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

नोट: 13

अन्य इक्विटी

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
प्रतिधारित आय	1,464.94	1,195.17	796.69
कुल	1,464.94	1,195.17	796.69


नोट: 13.1 प्रतिधारित आय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
प्रारंभिक शेष	1,195.17	796.69
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित अवधि के दौरान लाभ	269.77	398.48
इति शेष	1,464.94	1,195.17

नोट: 14
दीर्घकालिक प्रावधान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	18.73	2.57	-
कुल	18.73	2.57	-

नोट: 15 वित्तीय देयता
नोट: 15.1 अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
खर्च के लिए क्रेडिटर्स	410.07	81.06	2.03
बुक ओवरड्राफ्ट*	-	-	-
अग्रिम राशि	53.95	5.00	-
सुरक्षा जमा राशि	15.90	0.25	-
कुल	479.92	86.31	2.03

27.03.2018 को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को जारी 744.97 लाख रुपये का चेक ओवरड्राफ्ट बना हुआ चेक 06.04.2018 को बैंक में प्रस्तुत किया गया था

नोट: 16
अन्य मौजूदा देयताएं

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
वैधानिक बकाया	81.88	36.83	0.13
भविष्य निधि	29.69	-	-
कुल	111.57	36.83	0.13

नोट: 17
लघु अवधि प्रावधान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	30.16	0.16	-
कुल	30.16	0.16	-

नोट: 18
मौजूदा कर देयता / (संपत्तियां)


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
आयकर के लिए प्रावधान	-	191.14	243.84
कम: अग्रिम कर और टीडीएस	-	160.36	238.78
नेट मौजूदा कर देयता	-	30.78	5.06
कुल	-	30.78	5.06

नोट: 19
अन्य आय

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज से आय	632.58	792.16
(ए)	632.58	792.16
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय		
वित्तीय संपत्ति पर ब्याज से आय	0.98	0.69
अन्य विविध आय	0.44	-
(बी)	1.42	0.69
कुल (ए+बी)	634.00	792.85

**नोट: 20****कर्मचारी लाभ खर्च**

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और बोनस	579.41	87.51
कर्मचारी कल्याण व्यय	1.36	0.13
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	10.16	
योग	590.93	87.64
कम: प्रगति में पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (नोट-4.2.2 देखें)	547.6	30.7
कुल	43.33	56.96

नोट: 21**मूल्यहास और परिशोधन लागत**

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास (नोट-3 देखें)	101.41	13.7
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट-5 देखें)	1.12	0.5
योग	102.53	14.21
कम: प्रगति में पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (नोट-4.2.1 देखें)	83.2	-
कुल योग	19.36	14.21

नोट: 22**अन्य खर्च**

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय का किराया	263.43	78.96
शुल्क दर और कर	1.33	0.43
मरम्मत रखरखाव और अन्य	4.44	1.31
बिजली और ईंधन	15.54	1.61
यात्रा खर्च	203.74	33.39

लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट-22.1 देखें)	0.50	0.35
कानूनी और व्यावसायिक फीस	140.42	28.47
छपाई और लेखन सामग्री	29.52	7.60
संचार खर्च	32.63	3.33
किताबें और पत्रिकाएं	31.59	0.15
व्यापार संवर्धन व्यय	50.48	13.34
बैठक और सम्मेलन खर्च	35.13	8.99
हाउसकीपिंग व्यय	79.14	20.94
विविध व्यय	7.40	2.33
योग	895.28	201.2
कम: प्रगति में पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (नोट-4.2.3 देखें)	689.17	74.4
कुल	206.11	126.84

नोट: 22.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में लेखा परीक्षकों को भुगतान		
ऑडिट फीस	0.50	0.35
अन्य क्षमता में		
कुल	0.50	0.35

नोट: 23 आयकर खर्च

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
मौजूदा आयकर:		
मौजूदा आयकर शुल्क	99.49	191.14
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	0.73	5.23
कुल	100.22	196.37



कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच सामंजस्य

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर संचालन से कर से पहले लेखांकन लाभ	365.21	594.8
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	365.21	594.8
भारत की सांविधिक आयकर दर पर कर योग्य आय की गणना में रकम का कर प्रभाव कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं है	100.62	196.7
जोड़ें: समायोजन के रूप में इंड एएस आयकर में अनुमत नहीं है	-0.08	-0.1
दर एवं अन्य मदों में परिवर्तन का असर	-1.06	-5.5
स्थगित कर मान्यता प्राप्त है	0.73	5.23
	100.21	196.37
लाभ और हानि के विवरण में जारी आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	100.22	196.37
	100.22	196.37
प्रभावी आयकर दर पर	27.44%	33.01%

नोट: 24 आय प्रति शेयर (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
	(₹ प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	2.70	3.98
बंद संचालन से	-	-
पतला ईपीएस		
निरंतर संचालन से	2.70	3.98
बंद संचालन से	-	-

24.1 प्रति शेयर मूल आय

प्रति वर्ष मूल आय की गणना और पिछले वर्ष के लिए ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या वर्ष के दौरान बोनस शेयर जारी करने के समायोजन के बाद बहाल की जाती है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण:		
निरंतर संचालन से	269.77	398.48
बंद संचालन से	-	-
आय प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाती है	269.77	398.48
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	100.00	100.00

24.2 प्रति शेयर कमजोर आय


प्रति शेयर पतला आय की गणना में उपयोग की जाने वाली इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या: राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण:		
निरंतर संचालन	269.77	398.48
बंद संचालन से	-	-
आय निरंतर संचालन से प्रति शेयर पतला आय की गणना में उपयोग की जाती है।	269.77	398.48

प्रति शेयर पतला आय के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या में निम्नानुसार है:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	100.00	100.00
कमजोर पडने का प्रभाव:	-	-
प्रति शेयर पतला आय के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	100.00	100.00



नोट : 25

उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी के द्वारा वित्तीय उपकरण

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक		1 अप्रैल 2016 को	
	एफवीटीपीएल* / एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल* / एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल* / एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय संपत्ति						
(1) सुरक्षा जमा राशि	-	17.32	-	14.36	-	-
(2) नकद और नकद समकक्ष	-	871.87	-	620.07	-	2.00
(3) नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष	-	6,356.56	-	9,523.42	-	10,487.11
(4) अन्य	-	287.23	-	648.94	-	305.80
कुल वित्तीय संपत्तियां	-	7,532.98	-	10,806.79	-	10,794.91
वित्तीय देनदारियां						
(1) अन्य	-	479.92	-	86.31	-	2.03
कुल वित्तीय देयताएं	-	479.92	-	86.31	-	2.03

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) परिसंपत्तियों और देनदारियों को जिसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2017 तक		1 अप्रैल 2016 को	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति						
सुरक्षा जमा राशि	15.34	15.47	14.36	14.36	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियां	15.34	15.47	14.36	14.36	-	-

ए अल्पकालिक प्रकृति के कारण नकद और नकद समकक्ष और अन्य अल्पकालिक प्राप्तियां और अन्य देय राशि उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती हैं।

बी दीर्घकालिक सुरक्षा जमा के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह पर की गई थी। अनावश्यक इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर -3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1: समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असंगत)।

स्तर 2: उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स स्तर 1 के भीतर शामिल हैं जो संपत्ति या देयता के लिए देखे जा सकते हैं, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परिशोधित रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न)।

स्तर 3: संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो देखने योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर और परिशोधित लागत पर उचित मूल्य पर मापा वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम प्रस्तुत करती है

31 मार्च 2018 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम: -
राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है:				
सुरक्षा जमा राशि	-	-	15.47	15.47
	-	-	15.47	15.47

31 मार्च 2017 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम: -
राशि (लाखों में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है:				
सुरक्षा जमा राशि	-	-	14.36	14.36
	-	-	14.36	14.36

1 अप्रैल 2016 को वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम: -
राशि (लाख रुपये में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है:				
सुरक्षा जमा राशि	-	-	-	-
	-	-	-	-



नोट : 26

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय उपकरणों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत कराई गई है। कंपनी की सिद्धांतिक वित्तीय देनदारियों में अन्य भुगतान, सुरक्षा जमा और बयाना राशि शामिल हैं कम्पनी की सिद्धांतिक वित्तीय परिसंपत्तियों में अन्य प्राप्तियां और रोकड़ और रोकड़ समरूप जो इसके संचालन से सीधे तौर पर उत्पन्न होगी, शामिल हैं। परियोजना अभी भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जानी है। हालांकि, जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

ए बाजार जोखिम

परियोजना का पहला कॉरीडोर भारत सरकार द्वारा मंजूरी के तहत पडा है और इसके बाद, बहुपक्षीय / अन्य एजेंसी से उधार लेने की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसलिए, ब्याज दर के जोखिम का पता नहीं लगाया गया है।

कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी यदि कोई हो, और विदेशी मुद्रा में टेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम को उजागर करेगी। वर्तमान में, कंपनी के पास विदेशी मुद्रा में इसकी संपत्ति और देनदारियां नहीं हैं और इसलिए मौजूदा संपत्तियों और देनदारियों के लिए कोई विनिमय जोखिम नहीं है।

कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति नहीं है।

बी क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा इसके दायित्व पर डिफॉल्ट रूप से जोखिम दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। मुख्य रूप से, रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम उजागर करने वाली (हालांकि महत्वहीन) निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय संपत्तियों को ले जाने से है।

(i) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन।

नगद और नगद समतुल्य

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धनराशि रखकर प्रबंधित किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय संपत्तियां

अन्य वित्तीय संपत्ति जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल है, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

(ii) अपेक्षित क्रेडिट नुकसान।

रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी में क्रेडिट नुकसान अपेक्षित नहीं है।

परिशोधित मूल्य पर मापी गई अन्य वित्तीय संपत्तियां।

वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुनिश्चित करती है कि रकम खराब नहीं है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के खिलाफ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के रूप में कोई खराब प्रावधान नहीं है। हम रिपोर्टिंग तिथियों पर अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता के रूप में सभी उपरोक्त वित्तीय संपत्तियों पर विचार करते हैं।

सी) तरलता जोखिम

मासिक अनुमानों के आधार पर हमारी तरलता आवश्यकताओं की निगरानी की जाती है। कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत रिपोर्टिंग तिथि पर शेयर पूंजी में अंशदान से प्राप्त नकद और नकद समकक्ष हैं।

नोट : 27

अनुमान और धारणाएं

अनुवर्ती भविष्य के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनका अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की ले जाने वाली राशि को भौतिक समायोजन करने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

ए) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया


वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन विधियों के इनपुट जहां संभव हो वहां नमूदार बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए निर्णय की एक डिग्री की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय उपकरणों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं

बी) कर

आस्थगित कर संपत्तियों को इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ नुकसान का उपयोग किया जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है जो संभावित समय और भविष्य में कर योग्य लाभ के स्तर को, भावी कर योजना रणनीतियों के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि जिसकी पहचान की जा सकती है को निर्धारित करती है।

सी) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, सयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन नोट 2.6 में दिया गया है। संपत्ति, सयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कारकों की संख्या पर आधारित है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, सयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

**नोट: 28****अनिश्चित देयता**

कंपनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143 (3) के अन्तर्गत निर्धारित वर्ष 2015-16 की पूर्ण छानबीन के सम्बन्ध में आयकर विभाग से दिनांक 29.09.2017 को 6.15 लाख रुपये का मांग नोटिस प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने उपरोक्त मांग को स्वीकार नहीं किया है और सीआईटी (ए) में अपील की है, सीआईटी (ए) का निर्णय अभी आना बाकी है।

नोट: 29**संबंधित पार्टी प्रकटीकरण****29.1 इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	पद
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	निदेशक
श्री बिजय कुमार त्रिपाठी	निदेशक
श्री मनोज कुमार	निदेशक
श्री अंशु प्रकाश	निदेशक
श्री पी. गुरु प्रसाद	निदेशक
श्री राजीव स्वरूप	निदेशक
श्री अरुण कुमार गुप्ता	निदेशक
श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री वाई.पी. सक्सेना	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री साकेत कुमार सिंह	कंपनी सचिव

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक के साथ लेनदेन

नाम	रिश्ता	भुगतान की प्रकृति	वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुआ
		शून्य		

नोट: 29.2 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को मुआवजा:

वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नानुसार था:

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, 2018	वर्ष समाप्त हो गया 31 मार्च, 2017
लघु अवधि लाभ	58.80	20.37
रोजगार के बाद के लाभ	2.68	0.77
अन्य दीर्घकालिक लाभ	5.21	1.96
	66.69	23.11

नोट: 30**निगम से सम्बन्धित सामाजिक जिम्मेदारी**

राशि (लाखों में)

साल	खर्च करने के लिए आवश्यक है	अक्षय
वित्तीय वर्ष 2016-17	8.14	8.14
वित्तीय वर्ष 2017-18	12.13	12.13
	20.28	20.28

टिप्पणी:

बीओडी की सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने सीएसआर व्यय की 20.28 लाख रुपये की राशि को आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदन दिया है। कंपनी ने अभी तक निर्माण/संचालन शुरू नहीं किया है और इसकी कुल आय केवल अन्य स्रोतों (यानी सावधि जमा पर ब्याज) से है।


चूंकि कंपनी ने सीएसआर व्यय के लिए किसी भी रचनात्मक दायित्व में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए इंड एस की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा पुस्तक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

नोट: 31

प्रशासनिक व्यय को कंपनी के प्रशासन और परियोजना निष्पादन के बीच आवंटन पर विचार करते हुए प्रबंधन निर्णय के आधार पर विभाजित और पूंजीकृत किया जाता है।

32. भारतीय लेखा मानक इंड एस-19 "कर्मचारी लाभ" के संबंध में प्रकटीकरण**32.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी की लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:****ए) भविष्य निधि:**

कंपनी का भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान देती है। दायित्व का संचय आधार पर पहचाना जाता है।

**बी) उपदान:**

प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा जारी रखता है, वह सेवा-निवृत्ति इस्तीफे पर समाप्ति, और अक्षमता या मौत पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 अंतिम लिया गया मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता) की दर से उपदान प्राप्त करने का हकदार है।

इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इंड एएस-19 के तहत आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन और दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है के अनुसार किया गया है।

सी) पेंशन:

कर्मचारी समूह की सेवा-निवृत्ति पेंशन योजना के लिए प्रावधान योग्य कर्मचारियों के मूल वेतन के 2.5 प्रतिशत की दर से किया गया है।

अवधि के लिए योगदान के प्रावधान को कर्मचारी लागत के तहत संचित आधार पर समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्तिवादी कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना उधार संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है। और इनका लेखा संचय आधार पर किया जाता है।

डी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा:

कंपनी की सेवा-निवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को नियमित कर्मचारी पर लागू दर पर इनडोर उपचार के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इस खाते पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

ई) छुट्टियां:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो सालाना 30 दिन व 20 दिन क्रमशः में अर्जित होती है केवल वह छुट्टी जो भुनाने योग्य छुट्टी खाते में है को सेवा के दौरान कैलेंडर वर्ष में एक बार और सेवा-निवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों (बिना भुनाए भाग और कमप्यूटेशन के अर्द्ध वेतन छुट्टियों सहित) तक भुनाया जाता है।

इस खाते पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में, उनके सम्बन्धित मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर उनके वेतन लेने के आधार पर छुट्टी वेतन योगदान उनके सम्बन्धित मूल विभाग/संगठन को देय है और इसे संचित आधार पर लेने में किया जाता है।

एफ) अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी):

कंपनी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के दौरान शामिल यात्रा के खर्चों को पूरा करने में, अपने परिवार के साथ अपने या अन्यत्र मनोरंजन का लाभ उठाते समय यात्रा के खर्चों को पूरा करने में अपनी नीति के अनुसार मुख्यालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है

इस खाते पर देयता को बीमांकिक प्रावधान के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

32.2

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है:

(ए) नेट परिभाषित लाभ दायित्व


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2018 को				
दायित्व का वर्तमान मूल्य खोलना	0.77	1.96	-	-
ब्याज लागत	0.06	0.15	-	-
वर्तमान सेवा लागत	3.49	8.40	1.66	1.29
लाभ का भुगतान किया	-	-	-	-
दायित्वों पर वास्तविक हानि/(लाभ)	0.00	-0.21	-	-
दायित्व का बीमांकित मूल्य बंद करना	4.32	10.30	1.66	1.29
31.3.2017 को				
दायित्व का वर्तमान मूल्य खोलना	-	-	-	-
ब्याज लागत	-	1.96	-	-
वर्तमान सेवा लागत	0.77	-	-	-
लाभ का भुगतान किया	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकित हानि/(लाभ)	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान मूल्य बंद करना	0.77	1.96	-	-

(बी) योजना संपत्ति का उचित मूल्य

राशि (लाख रुपये में)

31.3.2018 को				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योगदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दायित्व का वर्तमान मूल्य बंद करना	4.32	10.30	1.66	1.29
वित्त पोषित स्थिति	-	-	-	-



राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2017 को				
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य खोलना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योगदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
लाभ भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दायित्व का वर्तमान मूल्य बंद करना	0.77	1.96	0.00	0.00
वित्त पोषित स्थिति	-	-	-	-

(सी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (लाखों में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2018 को				
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	4.32	10.30	1.66	1.29
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त पोषित स्थिति	0.00	0.00	0.00	0.00
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	4.32	10.30	1.66	1.29
31.3.2017 को				
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	0.77	1.96	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	NIL	NIL	NIL	NIL
वित्त पोषित स्थिति	0.00	0.00	0.00	0.00
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	0.77	1.96	0.00	0.00

(डी) लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय


राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2018 को				
वर्तमान सेवा लागत	3.49	8.40	1.66	1.29
ब्याज लागत	0.06	0.15	-	-
बीमांकित लाभ और हानि	0.00	-0.21	-	-
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल खर्च	3.55	8.34	1.66	1.29
31.3.2017 को				
वर्तमान सेवा लागत	0.77	-	-	-
ब्याज लागत	-	1.96	-	-
बीमांकित लाभ और हानि	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल खर्च	0.77	1.96	-	-

(इ) अन्य व्यापक आय (लाभ) / हानि में मान्यता प्राप्त पुनर्मूल्यांकन

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2018 को				
योजना संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ) / हानि	-	-	-	-
31.3.2017 को				
योजना संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल (लाभ) / हानि	-	-	-	-



(एफ) भारत औसत के रूप में व्यक्त मुख्य बीमांकित धारणा

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ
	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)	(अनिधिक)
31.3.2018 को				
छूट की दर	7.71%	7.71%	7.71%	7.71%
ब्याज की अध्यारोपित दर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
वेतन वृद्धि की आपेक्षित दर	6.50%	6.50%	लागु नहीं	लागु नहीं
इस्तेमाल की गई विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
31.3.2017 को				
छूट की दर	7.50%	7.50%	लागु नहीं	लागु नहीं
ब्याज की अध्यारोपित दर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
वेतन वृद्धि की आपेक्षित दर	6.50%	6.50%	लागु नहीं	लागु नहीं
इस्तेमाल की गई विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	लागु नहीं	लागु नहीं

(जी) उपदान के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त कुल देनदारी 31.03.2018 को 4.32 लाख रुपये और 31.03.2017 को 0.77 लाख रुपये है, जैसा कि बीमांकित मूल्यांकन प्रमाणपत्र से पता लगाया।

संवेदनशील विश्लेषण:

उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण सभी अन्य धारणाओं को निरंतर रखते हुए एक धारणा में परिवर्तन पर आधारित है। व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ धारणाओं में परिवर्तन सहसंबंधित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यवाही मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, उसी स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के बयान में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

इसमें बदलो	धारणाओं में बदलें	उपदान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नगदीकरण पर प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी लाभ पर प्रभाव
छूट की दर	+0.5%	(0.24)	(11,366)	NA	NA
	-0.5%	0.26	12,303	NA	NA
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	0.26	11,206	NA	NA
	-0.5%	(0.24)	-12,112	NA	NA

नोट: 33

“सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006” में परिभाषित माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की कोई रिपोर्ट नहीं है, जिनके लिए कंपनी पर बकाया राशि बकाया है।

नोट: 34**संपत्तियों की हानि**

समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की गैर वित्तीय परिसंपत्तियों का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से कम नहीं है और इसलिए बैलेंस शीट तिथि तक किसी भी संपत्ति की कोई हानि नहीं है।

नोट: 35**संविदात्मक प्रतिबद्धताएं**

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का विवरण 1212.81 लाख रुपये (पिछले वर्ष 576.17 लाख) है।


नोट: 36**वित्तीय विवरणों की स्वीकृति**

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए 09.08.2018 को अनुमोदित किया गया था

नोट: 37**इंड एस को पहली बार अपनाना**

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरणों का पहला सेट है जिसे कंपनी ने इंड एस के अनुसार तैयार किया है। 31 मई 2017 तक की अवधि के लिए, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के अनुच्छेद 7 के साथ पढ़ा जाए।

तदनुसार कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के लिए लागू इंड एस का अनुपालन करते हैं, साथ ही 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में वर्णित अनुसार, इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, कंपनी की बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2016 को कंपनी की इंड एस में संक्रमण की तिथि के रूप में तैयार की गई थी। यह नोट 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस शीट समेत भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों को बहाल करने और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख समायोजनों को बताता है।



छूट लागू

इंड एस-101 पहली बार इंडस्ट्रीज़-एस के तहत कुछ आवश्यकताओं के पूर्ववर्ती आवेदन से कुछ छूट को गोद लेने की अनुमति देता है

कंपनी ने निम्नलिखित छूट लागू की है: -

1) अनुमान

1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 को अनुमान भारतीय जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी भी अंतर को दर्शाने के समायोजन के बाद) के अनुसार उसी तारीख के लिए बनाए गए हैं।

1 अप्रैल 2016 को इंड एस प्रतिबिंबित स्थितियों के अनुसार, इनको इंड-एस में संक्रमण की तिथि और 31 मार्च 2017 तक कंपनी के अनुसार इन राशियों को प्रस्तुत करने के अनुमान।

2) वित्तीय संपत्ति और देयताओं की मान्यता

इंड एस-101 को इंड एस की संक्रमण तिथि पर या उसके बाद होने वाले लेनदेन के लिए इंड एस-109 के अमान्य प्रावधानों को लागू करने के लिए पहली बार अनूकूलक की आवश्यकता थी। हालांकि इंड एस-101 को पहली बार अपनाने पर, इंड एस-109 में अमान्य आवश्यकताओं को इकाई के चयन की तिथि से पूर्वतः करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इंड एस-109 में लागू करने के लिए आवश्यक जानकारी के परिणामस्वरूप पिछले अपरिचित लेन-देन के लिए प्रारंभिक रूप से लेखांकन के समय दर्शाया गया हो।

कंपनी इंड एस-109 के संक्रमण के प्रावधानों को इंड एस के संक्रमण की तारीख से लागू करने के लिए चुने जाते हैं।

3) वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और माप

इंड एस-101 को इंड एस में संक्रमण की तिथि पर मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और माप का आंकलन करने के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है।

4) पीपी-इंड एस-101 छूट:

कंपनी ने इंड एस-101 के तहत उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है, जबकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के ले जाने वाले मूल्य को पिछले जीएएपी के तहत निर्धारित राशि पर आगे बढ़ाया गया है।

इंड एस को पहली बार अपनाने के लिए नोट करें:

सुरक्षा जमा राशि

पिछले जीएएपी के तहत, ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (जो नकद में वापसी योग्य हैं) उनके लेनदेन मूल्य पर दर्ज की जाती हैं। जबकि इंड एस-109 के अनुसार सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर पहचाना जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने इंड एस के तहत इन सुरक्षा जमाओं के उचित मूल्य को माप लिया है। सुरक्षा जमा के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को उचित मूल्यांकन समायोजन -


सुरक्षा जमा (प्रीपेड किराया) के रूप में पहचाना गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2017 को सुरक्षा जमा राशि के रूप में 4,72,668 रुपये की कमी आई (जो 1 अप्रैल, 2016 को शून्य थी) और उचित मूल्य निर्धारण समायोजन - सुरक्षा जमा (प्रीपेड किराया) उसी राशि से बढ़ी है। 31 मार्च 2017 को वर्ष के लाभ और कुल इक्विटी में सुरक्षा जमा पर मान्यता प्राप्त 69,452 रुपये की वास्तविक ब्याज से आय के कारण 17,592.14 रुपये की वृद्धि हुई, जो 51,859 रुपये के उचित मूल्यांकन समायोजन - सुरक्षा जमा (प्रीपेड किराया) के परिशोधन द्वारा आंशिक रूप से समायोजित है।

उचित मूल्य निर्धारण समायोजन का आवंटन - सुरक्षा जमा (प्रीपेड किराया) का 35 प्रतिशत 27,924 रुपये की राशि को पूंजीगत प्रगति कार्य के तहत पूंजीकृत किया गया है

1 अप्रैल 2016 को इक्विटी का मिलान (परिवर्तन की तिथि पर)

राशि (लाख रुपये में)

विवरण		फुट नोट्स	पिछला GAAP	समायोजन	इंड एस
A	संपत्ति				
1	गैर मौजूदा परिसंपत्ति				
	(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		-	-	-
	(बी) पूंजीगत प्रगति कार्य		-	-	-
	(सी) अन्य अमूर्त संपत्तियां		-	-	-
	(डी) वित्तीय संपत्ति				
	(i) ऋण		-	-	-
	(ई) आस्थगित कर संपत्तियां (नेट)		8.65	-	8.65
	(एफ) अन्य गैर - मौजूदा परिसंपत्ति		-	-	-
			8.65	-	8.65
2	मौजूदा संपत्ति				
	(ए) वित्तीय संपत्ति				
	(i) नकद और नकद समकक्ष		2.00	-	2.00
	(ii) उपरोक्त के अलावा बैंक शेष राशि		10,487.11	-	10,487.11
	(iii) अन्य		305.80	-	305.80
	(बी) मौजूदा कर संपत्तियां		0.35	-	0.35
	(सी) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां				-
			10,795.26	-	10,795.26
	कुल संपत्ति		10,803.91	-	10,803.91



B	इक्विटी और देनदारियां				
1	इक्विटी				
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	10,000.00	-	10,000.00	
	(बी) अन्य इक्विटी	796.69	-	796.69	
		10,796.69	-	10,796.69	
2	देयताएं				
i	गैर मौजूदा देनदारियां				
ii	मौजूदा देनदारियां				
	(ए) वित्तीय देनदारी				
	(i) अन्य	2.03	-	2.03	
	(बी) अन्य चालू देनदारी	0.13	-	0.13	
	(सी) मौजूदा कर देनदारी (नेट)	5.06	0.00	5.06	
		7.22	(0.00)	7.22	
	कुल इक्विटी और देयताएं	10,803.91	(0.00)	10,803.91	

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस नोट के उद्देश्य के लिए इंड एस प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी का मिलान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	फुट नोट्स	पिछला GAAP	समायोजन	इंड एस	
1	परिसंपत्तियां				
1	गैर-मौजूदा संपत्ति				
	(ए) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	101.39	-	101.39	
	(बी) पूंजीगत कार्य-प्रगति	1	432.14	1.23	433.37
	(सी) अन्य अमूर्त संपत्तियां	1.51	-	1.51	
	(डी) वित्तीय संपत्ति				
	(i) ऋण	19.08	(4.72)	14.36	
	(ई) आस्थगित कर संपत्तियां (नेट)	2.83	0.59	3.42	
	(च) अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्ति	-	3.55	3.55	
		556.95	0.65	557.60	
2	मौजूदा संपत्ति				
	(बी) वित्तीय संपत्ति				
	(i) नकद और नकद के समान	620.07	-	620.07	
	(ii) उपरोक्त के अलावा बैंक शेष राशि	9,523.42	-	9,523.42	


	(iii) अन्य		648.94	-	648.94
	(सी) मौजूदा कर संपत्तियां		0.35	-	0.35
	(डी) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	1	0.37	1.07	1.44
			10,793.15	1.07	10,794.22
	कुल संपत्तियां		11,350.10	1.72	11,351.82
II	इक्विटी और देनदारियां				
	इक्विटी				
	(ए) इक्विटी शेयर पूंजी		10,000.00		10,000.00
	(बी) अन्य इक्विटी	1	1,196.18	(1.02)	1,195.17
			11,196.18	(1.02)	11,195.17
	देयताएं				
	(1) गैर मौजूदा देनदारियां				
	(i) प्रावधान			2.57	2.57
				-	2.57
	(2) मौजूदा देनदारियां				
	(ए) वित्तीय देनदारियां				
	(i) अन्य		86.31		86.31
	(बी) अन्य चालू देनदारियां		36.83		36.83
	(सी) लघु अवधि प्रावधान		-	0.16	0.16
	(डी) मौजूदा कर देनदारियां (नेट)		30.78		30.78
			153.92	0.16	154.08
	कुल इक्विटी और देयताएं		11350.10	1.71	11351.82

* पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस नोट के उद्देश्य के लिए इंड एस प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि का मिलान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	पहली बार अपनाने के लिए नोट्स	पिछला GAAP	समायोजन	इंड एस	
I.	राजस्व:				
	संचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क के समावेशी)				
II.	अन्य आय	1	792.16	0.69	792.85
III.	कुल आय (I + II)		792.16	0.69	792.85



IV.	व्यय:				
	कर्मचारी लाभ खर्च		55.19	1.77	56.96
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		14.21	-	14.21
	अन्य खर्च	1	126.31	0.53	126.84
	कुल व्यय (IV)		195.71	2.29	198.01
V.	असाधारण मदों व कर से पहले लाभ/हानि (III - IV)		596.45	(1.60)	594.85
VI.	असाधारण मदें				
VII.	कर से पहले लाभ/(हानि) (V - VI)		596.45	(1.60)	594.85
VIII.	कर व्यय:				
	(1) मौजूदा कर		191.14	-	191.14
	(2) आस्थगित कर		5.82	(0.59)	5.23
	(3) पहले साल कर		-		-
IX	निरंतर संचालन (VII - VIII) की अवधि के लिए लाभ/(हानि)		399.49	(1.01)	398.48
X	बंद संचालन से लाभ / (हानि)				
XI	बंद संचालन का कर व्यय				
XII	बंद/संचालन (कर के बाद) से लाभ/(हानि) (X-XI)				
XIII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX-XII)		399.49	(1.01)	398.48
XIV	अन्य व्यापक आमदनी				
	ए (1) आइटम जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे				
	(2) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे				
	बी (1) आइटम जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे				
	(2) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जाएंगे				
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XII-XIV) (अवधि के लिए व्यापक लाभ और अन्य व्यापक आय)		399.49	(1.01)	398.48

XVI.	प्रति इक्विटी शेयर आय:				
	(निरंतर संचालन के लिए)				
	(1) मूल		3.99		3.98
	(2) मिश्रित		3.99		3.98
XVII.	प्रति इक्विटी शेयर आय:				
	(संचालन बंद करने के लिए)				
	(1) मूल				
	(2) मिश्रित				
XVIII	प्रति इक्विटी शेयर आय:				
	(बंद और निरंतर संचालन के लिए)				
	(1) मूल		3.99		3.98
	(2) मिश्रित		3.99		3.98

31 मार्च 2017 और 1 अप्रैल 2016 को कुल इक्विटी का मिलान

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2017 तक	1 अप्रैल 2016 को
पिछले जीएएपी के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक का फंड)		11,196.18	10,796.69
समायोजन			
सुरक्षा जमा पर छूट की अनविंडिंग-संपत्तियां	1	0.69	-
सुरक्षा जमा पर आस्थगित प्रीपेड खर्चों का परिशोधन	1	(0.52)	-
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		(1.77)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		0.59	
इंड एस के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक का फंड)		11,195.17	10,796.69



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

राशि (लाखों में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2017 तक
पिछले जीएएपी समायोजन के अनुसार कर के बाद लाभ		399.49
सुरक्षा जमा पर छूट की अनविडिंग-संपत्तियां	1	0.69
सुरक्षा जमा पर आस्थगित प्रीपेड खर्चों का परिशोधन	1	(0.52)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		(1.77)
आस्थगित कर परिसंपत्ति		0.59
इंड एस के अनुसार कुल व्यापक आय		398.48

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण पर इंड एस को अपनाने के प्रभाव

राशि (लाख रुपये में)

विवरण	नोट संख्या	पिछले जीएएपी के मुताबिक	समायोजन	इंड एस के अनुसार
संचालन गतिविधियों से कुल नगदी		(648.29)	-	(647.07)
निवेश गतिविधियों से कुल नगदी		1,266.36	-	1,265.13
वित्त पोषण गतिविधियों से कुल नगदी		-	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध कमी		618.07	-	618.07
1 अप्रैल 2016 को नकदी और नकदी समतुल्य		2.00	-	2.00
31 मार्च 2017 को नकदी और नकदी समतुल्य		620.07	-	620.07



गोपनीय

संख्या/No. PDCA-1/ND/CHQ/35-2/2017-18/585

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated 13/9/18

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम,
7/6 सिरी फोर्ट इस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110049


विषय : 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की "शून्य टिप्पणियाँ" अंग्रेषित करती हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की आमसभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ


(नन्दना मुंशी)
महानिदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष / Tele.: 011-23378473, फैक्स / Fax: 011-23378432, 011-23370871
E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

**Comments of the Comptroller and Auditor General of India
under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial
Statements of National Capital Region Transport Corporation Limited
for the year ended 31st March, 2018**

The preparation of financial statements of **National Capital Region Transport Corporation Limited** for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 9 August 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **National Capital Region Transport Corporation Limited** for the year ended 31 March 2018 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.


On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 13th September, 2018

**(Nandana Munshi)
Director General
O/o Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member Audit Board-I,
New Delhi.**





राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
7/6, सिरिफोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049

फोन नंबर: +91-11-41066943 फैक्स: +91-11-41066953

CIN No. U60200DL2013GOI256716

www.ncrtc.in